UPGK010025052013

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर।
उपस्थितः नितिन कुमार ठाकुर (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या– 141/2013

उत्तर प्रदेश राज्य

........अभियोजन

बनाम

1. प्रेम राय
   पुत्र सदानन्द राय
2. राजकुमार राय
   पुत्र सदानन्द राय
3. नवीन राय उर्फ मोनू राय
   पुत्र सर्वजीत राय
4. सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय
   पुत्र शिव कुमार राय
   (न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2013 के द्वारा अभियुक्त सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय को बाल अपचारी घोषित होने के पश्चात् अभियुक्त सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय की पत्रावली पृथक करके संबंधित न्यायालय को भेजी जा चुकी है।)
5. ओंकार गौड़
   पुत्र स्व0 जगदीश गौड़
   निवासीगण– डीहघाट थाना झगहां,
   जनपद गोरखपुर।

........अभियुक्तगण

| | |
|---|---|
| प्राथमिकी संख्या | 182/12 (समतुल्य मु0अ0सं0 304/2012) |
| घटना दिनांक व समय | 01.12.2012, सुबह 04:00 बजे |
| प्राथमिकी दिनांक व समय | 01.12.2012, 08:10 बजे |
| थाना | झगहां |
| धारा | 147,148,302/149 भारतीय दण्ड संहिता 1860 संक्षिप्ततः भा0द0सं0 एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम |
| आरोप पत्र समर्पित दिनांक | 22.02.2013 |
| आरोप पत्र प्रसंज्ञान दिनांक | 28.02.2013 |
| आरोप विरचन दिनांक | 15.07.2014 |
| निर्णय दिनांक | 29.07.2026 |
| सजा पर सुनवाई एवं आदेश | 29.07.2026 |

## निर्णय

**1.** उपरोक्त सत्र परीक्षण, एक लिखित तहरीर में अंकित घटनाक्रम से जनित प्राथमिकी जो कि प्राथमिकी नं० 182/12 थाना झगहां, जिला गोरखपुर पर **दिनांक 01.12.2012** को अपराध अंतर्गत धारा 147,148,149,302 भा0द0सं0 के तहत पंजीकृत हुई थी, से उदभूत हुआ है।

**2.** उक्त प्राथमिकी इस मामले के शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 01.12.2012 को घटित घटना के संबंध में संबंधित पुलिस को दी गयी एक हस्तलिखित तहरीर पर आधारित है उक्त तहरीर में उल्लिखित तथ्य शब्दशः निम्न प्रकार हैः

> "सविनय निवेदन यह है कि हम प्रार्थी चन्द्रजीत पुत्र जगदीश गौड़ ग्राम डीहघाट थाना झगहां चौकी बरही जनपद गोरखपुर का निवासी हूँ। हमसे और प्रेम राय पुत्र सदानन्द राय, राजकुमार राय पुत्र सदानन्द राय व नवीन राय उर्फ मोनू

राय पुत्र सर्वजीत राय, सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय पुत्र शिवकुमार राय से 24.11.012 को जमीन की पैमाइश को लेकर झगड़ा हो गया था जिसका एन.सी.आर. थाने पर दर्ज है। उसी बात को लेकर आज दिनांक 01.12.012 सुबह 4 बजे उक्त एवं **5 लोग** अखिलेश राय पुत्र मारकण्डे राय, मनोज राय पुत्र मारकण्डे राय, सर्वजीत राय पुत्र स्व0 महानन्द राय, विनोद यादव पुत्र रामदुलारे यादव मेरे पिता जगदीश गौड़ (घोठा पर) सो रहे थे। उक्त लोग आ करके गोली मार दी जिससे **मौके पर ही** उनकी मौत हो गयी। गोली की आवाज सुनकर के **हम बाहर निकले तब उक्त लोग भाग रहे थे।** उक्त व्यक्तियों के साथ मेरा भाई ओंकार गौड़ भाग रहे थे। मौके पर गाँव वाले इक्ट्ठा हो गये। **भागते समय मेरे भाई गुलाब प्रसाद गौड़ ने देखा है और पहचाना है।** ओंकार भी घटना में उक्त लोगों के साथ था।"

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरे पिता जी की लाश घर पर पड़ी है, सूचना को आया हूँ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त मुल्जिमान डीहघाट के है और मृतक जगदीश की उम्र 70 वर्ष के लगभग है।

**दिनांक 01.12.012** **प्रार्थी चन्द्रजीत गौड़**

**2.1** दिनांक 01.12.2012 को संबंधित थाने पर **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय 5. अखिलेश राय 6. मनोज राय 7. सर्वजीत राय 8. विनोद यादव 9. ओंकार गौड़** के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ की गयी और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा दिनांक 22.01.2013 को **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय 5. ओंकार गौड़** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा–147,148,149,302 भा0द0सं0 **एवं अभियुक्त ओंकार गौड़** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम का बनना बखूबी पाते हुए आरोप–पत्र तैयार किया गया। जिसे कि संबंधित मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के समक्ष दिनांक 28.02.2013 को समर्पित किया गया।

जिसपर उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसी दिनांक को आरोप पत्र में उल्लिखित धारा के अपराध का संज्ञान आरोप पत्र में नामित व्यक्ति **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय 5. ओंकार गौड़** के विरूद्ध लिया। तत्पश्चात् मामले को अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय पाते हुए उपार्पण पूर्व अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा सत्र न्यायालय को कर दिया गया। तदोपरांत यह मामला माननीय सत्र न्यायालय, गोरखपुर द्वारा इस न्यायालय को निर्णयन वास्ते अंतरित किया गया।

**3.** मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2014 को आरोप–पत्र में नामित व्यक्ति **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़** पर लगे अभियोग के संदर्भ में आरोप विरचित किये जाने की प्रक्रिया की गयी। **उल्लेखनीय रूप से मेरे विद्वान पूर्ववर्ती द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2013 के द्वारा अभियुक्त सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय को बाल अपचारी घोषित होने के पश्चात् अभियुक्त सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय की पत्रावली पृथक करके संबंधित न्यायालय को भेजी जा चुकी है।**

**3.1** पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़** के विरूद्ध मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2014 को आरोप दण्डनीय अपराध अंतर्गत धारा–147,148,302 सपठित धारा–149 भा0द0सं0 एवं उक्त **ओंकार गौड़** के विरूद्ध मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा उसी दिनांक को आरोप दण्डनीय अपराध अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम के आरोप विरचित किये गये एवं उक्त आरोपों को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया था जिनसे कि उन्होंने इन्कार किया था एवं विचारण की माँग की थी अतएव यह सत्र परीक्षण उदभूत हुआ।

**4.** अपने वाद/ पक्ष को सिद्ध करने हेतु **मौखिक साक्ष्य** के रूप में अभियोजन ने **कुल 10 गवाहों** को न्यायालय के समक्ष उपस्थित एवं परीक्षित करवाया है जो निम्नलिखित है–

1. **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब प्रसाद गौड़ (कथित चक्षुदर्शी गवाह)

2. **पी०डब्ल्यू०–2** उर्मिला देवी

3. **पी०डब्ल्यू०–3** फूल कुमारी

4. **पी०डब्ल्यू०–4** चन्द्र मोली

5. **पी०डब्ल्यू०–5** सुनील कुमार गौड़

6. **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक)

7. **पी०डब्ल्यू०–7** डॉक्टर दिनेश सिंह (पोस्टमार्टमकर्ता)

8. **पी०डब्ल्यू०–8** उपनिरीक्षिक बादशाह सिंह (प्राथमिकी लेखक)

9. **पी०डब्ल्यू०–9** निरीक्षक विजय नारायण प्रसाद (विवेचक)

10. **पी०डब्ल्यू०–10** निरीक्षक सुरेश कुमार यादव (पंचनामा लेखक)

**4.1** अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित **दस्तावेजी साक्ष्य** के रूप में न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है–

| **क्र० सं०** | **दस्तावेजी साक्ष्य** | **प्रदर्श/वस्तु प्रदर्श** | **साबित करने वाला साक्षी** |
|---|---|---|---|
| 1. | तहरीर | **प्रदर्श क–1** | **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब प्रसाद गौड़ (कथित चक्षुदर्शी गवाह) |
| 2. | पंचनामा | **प्रदर्श क–2** | **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब प्रसाद गौड़ (कथित चक्षुदर्शी गवाह) |
| 3. | शपथ पत्र चन्द्रजीत गौड़ | **प्रदर्श क–3** | **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब प्रसाद गौड़ (कथित चक्षुदर्शी गवाह) |
| 4. | शपथ पत्र गुलाब प्रसाद गौड़ | **प्रदर्श क–4** | **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब प्रसाद गौड़ (कथित चक्षुदर्शी गवाह) |
| 5. | फर्द बरामदगी खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी | **प्रदर्श क–5** | **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक) |
| 6. | फर्द बरामदगी खोखा कारतूस व बुलेट पीतल | **प्रदर्श क–6** | **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | नक्शा नजरी | **प्रदर्श क–7** | **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक) |
| 8. | प्राथमिकी | **प्रदर्श क–8** | **पी०डब्ल्यू०–8** उपनिरीक्षिक बादशाह सिंह (प्राथमिकी लेखक) |
| 9. | कायमी जी0डी0 | **प्रदर्श क–9** | **पी०डब्ल्यू०–8** उपनिरीक्षिक बादशाह सिंह (प्राथमिकी लेखक) |
| 10. | फर्द बरामदगी | **प्रदर्श क–10** | **पी०डब्ल्यू०–9** निरीक्षक विजय नारायण प्रसाद (विवेचक) |
| 11. | बरामदगी नक्शा नजरी | **प्रदर्श क–11** | **पी०डब्ल्यू०–9** निरीक्षक विजय नारायण प्रसाद (विवेचक) |
| 12. | पोस्टमार्टम रिपोर्ट | **प्रदर्श क–12** | **पी०डब्ल्यू०–7** डॉक्टर दिनेश सिंह (पोस्टमार्टमकर्ता) |
| 13. | चिट्ठी सी0एम0ओ0 | **प्रदर्श क–13** | **पी०डब्ल्यू०–10** निरीक्षक सुरेश कुमार यादव (पंचनामा लेखक) |
| 14. | चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक | **प्रदर्श क–14** | **पी०डब्ल्यू०–10** निरीक्षक सुरेश कुमार यादव (पंचनामा लेखक) |
| 15. | फोटोनाश | **प्रदर्श क–15** | **पी०डब्ल्यू०–10** निरीक्षक सुरेश कुमार यादव (पंचनामा लेखक) |
| 16. | पुलिस प्रपत्र सं0–13 | **प्रदर्श क–16** | **पी०डब्ल्यू०–10** निरीक्षक सुरेश कुमार यादव (पंचनामा लेखक) |
| 17. | अभियोजन स्वीकृति | **प्रदर्श क–17** | **पी०डब्ल्यू०–9** निरीक्षक विजय नारायण प्रसाद (विवेचक) |
| 18. | आरोप–पत्र | **प्रदर्श क–18** | **पी०डब्ल्यू०–9** निरीक्षक विजय नारायण प्रसाद (विवेचक) |
| 19. | माल मुकदमाती | **वस्तु प्रदर्श–1** | **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक) |
| 20 | डिब्बा भोला ब्रांड | **वस्तु प्रदर्श–2** | **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| . | | | |
| 21. | डिब्बा रत्ना ब्रांड | **वस्तु प्रदर्श–3** | **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक) |
| 22<br>. | लिफाफा | **वस्तु प्रदर्श–4** | **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक) |
| 23<br>. | तमंचा | **वस्तु प्रदर्श–5** | **पी०डब्ल्यू०–6** अजय कुमार ओझा (विवेचक) |

**5.** अभियुक्तगण को उनपर लगाये गये आरोपों एवं उनके विरूद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जोकि अभियोजन ने प्रस्तुत किये पर अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया एवं इस संदर्भ में अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० विभिन्न प्रश्नोत्तर माध्यम से अंकित किये गये। उक्त कथन **अंतर्गत धारा 313 में कुल 30–30 प्रश्न** अभियुक्तगण से पूछे गये जिनके उत्तर में अभियुक्तगण ने उनपर लगे अभियोग को गलत व झूठा बताया गया साथ ही सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अभिकथन किया है।

**5.1** उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव हेतु दो गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया गया है जो **अखिलेश प्रताप चौहान डी०डब्ल्यू०–1 एवं ओंकार/ओमकार गौड़ डी0डब्ल्यू0–2** के रूप में न्यायालय के समक्ष बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया गया है।

**5.2** बचाव पक्ष द्वारा निम्नलिखित **दस्तावेजी साक्ष्य** के रूप में न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है–

| **क्र० सं०** | **दस्तावेजी साक्ष्य** | **प्रदर्श/वस्तु प्रदर्श** | **साबित करने वाला साक्षी** |
|---|---|---|---|
| 1. | परिवार रजिस्टर की मूलप्रति | **प्रदर्श ख–1** | **डी०डब्ल्यू०–2** ओंकार गौड़ |
| 2. | आधार कार्ड | **प्रदर्श ख–2** | **डी०डब्ल्यू०–2** ओंकार गौड़ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | वोटर कार्ड | **प्रदर्श ख–3** | **डी०डब्ल्यू०–2** ओंकार गौड़ |
| 4. | पैन कार्ड | **प्रदर्श ख–4** | **डी०डब्ल्यू०–2** ओंकार गौड़ |
| 5. | राशन कार्ड | **प्रदर्श ख–5** | **डी०डब्ल्यू०–2** ओंकार गौड़ |
| 6. | आरती का वोटर कार्ड | **प्रदर्श ख–6** | **डी०डब्ल्यू०–2** ओंकार गौड़ |
| 7. | आरती का पैन कार्ड | **प्रदर्श ख–7** | **डी०डब्ल्यू०–2** ओंकार गौड़ |

**6. दोनों पक्षों द्वारा रखे गये तर्क–**

**6.1** अभियोजन की तरफ से **विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रिमिनल) श्री धर्मेन्द्र मिश्रा** ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि अभियोजन ने अपने कथानक को उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल ने अग्रेतर यह तर्क रखा कि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु 10 गवाहों को प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया है उनमें मुख्य रूप से **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब प्रसाद गौड़ जोकि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है तथा **पी०डब्ल्यू०–2** उर्मिला देवी, **पी०डब्ल्यू०–3** फूल कुमारी, **पी०डब्ल्यू०–4** चन्द्रमोली, **पी०डब्ल्यू०–5** सुनील कुमार गौड़ के द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से अभियोजन ने इस मामले की सभी पाँच अभियुक्तगण जिनमें से एक सिद्धार्थ राय जुबेनाईल घोषित होने की वजह से उसका मामला अलग कर दिया गया था के विरूद्ध अभियोजन कथानक को पूरे तरीके से साबित किया है। विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया कि **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब प्रसाद गौड़ जो इस मृतक का पुत्र है ने अखण्डित रूप से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया है कि घटना की रात्रि को वह अपने पिता मृतक के साथ सोया था और उसके सामने ही अभियुक्त प्रेम राय ने उसके पिता के सीने के दाहिने तरफ गोली मार दी थी और उस समय अन्य अभियुक्तगण भी वहां उसके साथ ही थे। उल्लेखनीय रूप से पत्रावली पर उपलब्ध इस मामले की लिखित तहरीर जिसे कि इस **पी०डब्ल्यू०–1** के भाई ने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसकी मृत्यु हो चुकी है और इस वजह से वह न्यायालय में गवाही हेतु नहीं आ सका है में भी यह साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके भाई गुलाब प्रसाद गौड़ ने देखा है और पहचाना है और इस प्रकार से इस **पी०डब्ल्यू०–1** के द्वारा न्यायालय में दिया गया साक्ष्य इस

मामले की तहरीर में लिखी बात से संपुष्ट हो रहा है। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल ने यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित किये गये साक्षी **पी०डब्ल्यू०–7** डॉ० दिनेश कुमार सिंह जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था ने सुस्पष्ट तरीके से साक्ष्य दिया है कि मृतक को गन शट की चोट दाहिनी तरफ पीठ तरफ एक्जिट बुन्ड बनाते हुए निकल गई थी और इस **पी०डब्ल्यू०–1** ने भी यही साक्ष्य दिया है मृतक को अभियुक्त प्रेम राय के द्वारा उसके सीने के दाहिनी तरफ गोली मारी गई थी इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि उक्त **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब इस मामले का चक्षुदर्शी साक्षी था। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क भी रखा है कि उक्त **पी०डब्ल्यू०–1** के अनुसार मृतक को दिनांक 01.12.12 के 4 बजे गोली मारी गई थी और उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी०डब्ल्यू०–7** के साक्ष्य से यह तथ्य निकलकर सामने आया कि मृतक रेगर मोर्टिस पास हो चुका था तथा उक्त **पी०डब्ल्यू०–7** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मृत्यु के समय के निर्धारण में RM एक फैक्टर है रेगर मोर्टिस 36 घण्टे में सामाप्त हो जाता है और मृतक जगदीश के शरीर पर रेगर मोर्टिस समाप्त हो चुका था। उल्लेखनीय रूप से इस मामले के मृतक के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 02.12.2012 के 4बजकर5 मिनट शुरू होना बताया गया है। यदि स्वतंत्र रूप से मृतक के शव के रेगर मोटिस की स्थिति और उसके पोस्टमार्टम के समय को दृष्टिगत रखा जाये तब ऐसे में मृतक की मृत्यु का समय वही होगा जो बताया जा रहा है और इससे भी उक्त **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब का चक्षुदर्शी साक्षी होना सुस्पष्ट हो रहा है। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित किये गये इस **पी०डब्ल्यू०–1** के साक्ष्य में ऐसी कोई विसंगति नहीं है जिससे इसके साक्ष्य अविश्वास किये जाने की कोई वजह हो। उल्लेखनीय रूप से **पी०डब्ल्यू०–2**, **पी०डब्ल्यू०–3**, **पी०डब्ल्यू०–4** व **पी०डब्ल्यू०–5** के साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त ओंकार की अपने पिता से अनबन थी साथ ही अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगणों के साक्ष्य से यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है कि इस मामले के अन्य अभियुक्तगणों का इस मामले के मृतक और उसके परिवार के साथ जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद था अतएव अभियोजन ने इस मामले के सभी अभियुक्तगणों के अपराध कारित करने का मोटिव भी साबित किया है। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल के द्वारा यह तर्क रखा कि चूंकि अभियोजन का मामला चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर आधारित है अतएव इस मामले में

अभियोजन यदि मोटिव या आशय को अभियुक्त के सापेक्ष साबित न भी करता तब भी उसकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल द्वारा यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा कि अभियुक्त ओंकार के द्वारा जो अली बाई का प्ली लिया गया है उसे साबित करने का भार उसी पर था जिसे साबित करने में वह पूर्ण रूप से विफल रहा है क्योंकि मूल रूप से वह अपने को पिपराईच गोरखपुर में रहना बता रहा है जबकि घटना झगहां गोरखपुर की है और उक्त दोनो के बीच की दूरी मात्र 25 किलोमीटर की है और इस दृष्टिकोण से अभियुक्त ओंकार के द्वारा लिया गया प्ली ऑफ अली बाई किसी भी आधार पर संधारणीय नहीं है। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल ने न्ययाालय के समक्ष यह तर्क भी रखा है कि अभियुक्त ओंकार के पास से उसकी निशानदेही पर एक तमंचा की बरामदगी संबंधित पुलिस द्वारा की गई और इससे भी अभियुक्त ओंकार का इस वर्तमान मामले में शामिल होने के हेतु एक स्पष्ट परिस्थिति का जन्म होता है। उक्त संबंध में पुलिस द्वारा फर्द बरामदगी बनाया गया था और पुलिस द्वारा डिस्टिक मजिस्ट्रेट से अभियुक्त ओंकार के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति भी ली थी और इस संबंध में इस मामले के विवेचक **पी०डब्ल्यू०-9** विजय नारायन ने साक्ष्य भी दिया है जिसे इस मामले के एक अभियुक्त ओंकार के विरूद्ध अन्य अपराधों के अलावा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध का बनना बखूबी अभियोजन ने साबित किया है। विद्वान ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल के द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त तर्क को रखते हुए यह अभिकथन किया गया है कि अभियोजन ने अपने कथानक को जिसके तहत इस मामले के अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोपों का निर्धारण हुआ था को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है अतएव उन्हें इस हेतु दोषसिद्ध किया जाये और उचित सजा से दण्डित किया जाये।

**6.2** उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में चार अभियुक्तों के संदर्भ में सत्र परीक्षण संचालित हुआ है इन चार अभियुक्तों में अभियुक्त नवीन राय की तरफ विद्वान अधिवक्ता **श्री बच्चू सिंह** ने तर्क रखा है साथ ही अभियुक्त राजकुमार राय, प्रेम राय के पक्ष में विद्वान अधिवक्ता **श्री विनोद कुमार त्रिपाठी** ने तर्क रखा है तथा अभियुक्त ओंकार गौड़ की तरफ से एमीकस क्यूरी **श्री अशोक कुमार दूबे** विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखा गया है।

**6.2.1** अभियुक्त नवीन राय की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता **श्री बच्चू सिंह** ने न्यायालय के समक्ष यह पुरजोर तरीके से तर्क रखा कि इस वर्तमान मामले में मामले के आधार लिखित तहरीर को न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा उचित तरीके से साबित नहीं कराया गया है। वर्तमान मामले के प्राथमिकी दर्ज होने में चार घण्टे का विलम्ब है और इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष अग्रेतर तर्क रखा गया कि यदि उक्त तहरीर को मान भी लिया जाये तब भी उसमें यही अंकित है कि इस मामले के कथित अभियुक्तगणों को वादी/ प्रार्थी द्वारा भागते हुए देखा गया साथ ही साथ **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब प्रसाद गौड़ के विषय में यह लिखा है कि भागते समय गुलाब गौड़ ने देखा है इससे स्पष्ट है कि इस मामले की कथित घटना को किसी ने देखा नहीं था और ऐसे में हत्या जैसे अपराध हेतु अभियुक्तगणों को मात्र इस आधार पर की कथित रूप से उन्हें किसी ने भागते हुए देखा था दोष नहीं ठहराया जा सकता। श्री सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष अग्रेतर तर्क रखा गया कि अभियोजन का सम्पूर्ण मामला एक मात्र कथित चक्षुदर्शी साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब गौड़ के साक्ष्य पर आधारित है अतएव इस साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता के मानक पर खड़ा होना था किन्तु इस **पी०डब्ल्यू०–1** ने सारवान इंप्रुवमेंट अपने साक्ष्य में करते हुए यह साक्ष्य दिया है कि उसके सामने घटना घटित हुआ था जबकि इस तरह का कोई भी तथ्य उसने अपने पूर्व के कथन में नहीं कहा था और ऐसे में यह अभियोजन के मूल तक को आहत करने में सक्षम है अतएव इस **पी०डब्ल्यू०–1** को विश्वसनीय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और उसके साक्ष्य पर आधारित अभियोजन कथानक को साबित हुआ नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चू सिंह ने यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा कि यदि यह मान भी लिया जाये अभियुक्तगणों को घटनास्थल से भागते हुए देखा तब ऐसे में उनके विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 149 भा०द०सं किसी भी रूप में आकर्षित नहीं होता है क्योंकि धारा 149 भा०द०सं० अनलॉ फूल असेम्बली की बात करता है न की डिसपर्स होने की बात करता है अतएव इस मामले के अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 149 भा०द०सं० का आरोप किसी भी प्रकार से नहीं साबित होता है। अभियुक्त नवीन राय की तरफ से विभिन् न्याय दृष्टांत उसके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गये हैं जोकि निम्न प्रकार से है–

1. **धर्मबीर उर्फ धर्मा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा**

2024 (3) **JIC** 929 (**SC**)

2. **मल्लापा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक**

2021 (3) JIC 148 (SC)

**6.2.2** उक्त अनुक्रम में ही अभियुक्त राजकुमार राय एवं प्रेम राय की तरफ से विद्वान अधिवक्ता **श्री विनोद कुमार त्रिपाठी** ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा है। श्री त्रिपाठी द्वारा भी इस मामले के कथित चक्षुदर्शी साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1** गुलाब की अविश्वसनीयता के संबंध में विस्तार से तर्क रखा है और उनके द्वारा यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा गया कि अभियोजन के गवाहों के द्वारा जो साक्ष्य दिये गये है वह मुख्य रूप से यह साबित करते हैं कि अभियुक्त ओंकार गौड़ जो मृतक का पुत्र था कि अपने पिता के साथ रंजिश थी उनके द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है कि अभियुक्त राजकुमार राय, प्रेम राय की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या रंजिश इस मामले के मृतक के साथ थी और इस प्रकार से विद्वान अधिवक्ता ने उक्त दोनों अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किये जाने का न्यायालय से आग्रह किया है। उक्त अभियुक्तगणों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं–

1. **सूचा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब**

   2009 (65) **ACC** 938 (**Supreme Court**)

2. **सम्भाजी हिन्दूराव देशमुख एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र**

   2008(1) **CAR** (**SC**) 235

3. **वी0एन0 सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एवं अन्य**

   **Crl. Appeal No**. 50 **of** 1980 (**Supreme Court**)

**6.2.3** अभियुक्त ओंकार की ओर से **श्री अशोक कुमार दूबे** ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि इस मामले से इस अभियुक्त ओंकार गौड़ का कोई लेना देना नहीं है। विद्वान एमीकस क्यूरी द्वारा यह तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखा कि इस मामले के कथित चक्षुदर्शी साक्षी **पी०डब्ल्य०–1** का साक्ष्य किसी भी रूप में विश्वसनीय नहीं है साथ ही **पी०डब्ल्यू०–2**, **पी०डब्ल्यू०–3**, **पी०डब्ल्यू०–4**, **पी०डब्ल्यू०–5** ने जो न्यायालय के समक्ष गवाही की है वे सभी इस अभियुक्त के भाई बन्धु है और उन्होंने जान बूझकर कि सम्पत्ति में उसे भाग न देना पड़े उसे इस मामले में फसा दिया गया है जबकि यह अभियुक्त घटना दिनांक और समय पर मौजूद नहीं था इस संबंध में उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। विद्वान एमीकस क्यूरी ने न्ययाालय के समक्ष यह तर्क भी रखा कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध विरचित हुए आरोप अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के संबंध में अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त साक्ष्य

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया अतएव इस हेतु भी अभियुक्त दोषमुक्ति का अधिकारी है। इसके अलावा विद्वान एमीकस क्यूरी द्वारा न्यायालय के समक्ष न्याय बिन्दू रखा गया कि यदि किसी मामले में दो दृष्टिकोण संभव हो तब ऐसे में जो दृष्टिकोण को अभियुक्त को फेवर करता हो उसे न्यायालय को चुनना चाहिए और इस वर्तमान मामले में जिस तरीके का संदेह का घेरा मौजूद है उसे तिरोहित करने में अभियोजन असफल रहा है अतएव इस मामले के अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्ति के अधिकारी हैं। अभियुक्त ओंकार की तरफ से विद्वान एमीकस क्यूरी ने निम्नलिखित न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं–

1. **कूना उर्फ संजना बेहरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा**
   2018 पी0एन0पी0 (क्रि0) 564 (एस0सी0)
2. **बलवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं एक अन्य**
   2020 पी.एन.पी. (क्रि.) 362 (एस.सी.)
3. **राजवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0**
   2025 (1) डी0एन0आर0 369 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)
4. **नवनीतकृष्णन बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा**
   2016 पी0एन0पी0 (क्रि0) 926 (एस0सी0)
5. **स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम सुनील सम्बद्ध रेखा बनाम सेंगर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य**
   2017 पी0एन0पी0 (क्रि0) 809 (एस0सी0)

## 7. निश्चयन बिन्दू

मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस वर्तमान मामले में निम्नलिखित **निश्चयन बिन्दू** बनाया जाना समीचीन समझती है–

> **क. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 147 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?**
>
> **निर्णय–** विश्लेषण के अनुसार।

ख. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 148 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

**निर्णय**– विश्लेषण के अनुसार।

ग. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्तगण ने उनके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर भा0द0सं0 की धारा 302 सपठित धारा–149 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

**निर्णय**– विश्लेषण के अनुसार।

घ. क्या इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि इस मामले के अभियुक्त ओंकार गौड़ ने उसके विरूद्ध विरचित आरोप में उल्लिखित नियत दिवस एवं समय पर आयुध अधिनिय की धारा 3/25 के अन्तर्गत का अपराध कारित किया?

**निर्णय**– विश्लेषण के अनुसार।

ड़. अभियुक्तगण की दोषसिद्धी की दशा में उनपर अधिरोपित सजा?

**निर्णय**– अंतिम आदेश के अनुसार।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों की मुख्य परीक्षा मामले की विशिष्टता के दृष्टिगत निम्नलिखित रूप से हूबहू अंकित की गयी हैः–

8.1 साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 गुलाब प्रसाद गौड़** जोकि इस मामले के मृतक का पुत्र है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि हम चार भाई है, सबसे बड़ा मैं गुलाब प्रसाद, दूसरे चन्द्र मौली, तीसरे ओमकार गौड़, चौथे स्व0 चन्द्रजीत गौड़ है। मेरे भाई चन्द्रजीत की मृत्यु 01 साल पूर्व हो गयी है। मेरे गाँव के प्रेम राय, राजकुमार पुत्र सदानन्द राय, नवीन राय उर्फ मोनू राय पुत्र सर्वजीत राय, सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय पुत्र स्व0 शिवकुमार राय, अखिलेश राय व मनोज राय पुत्रगण मारकण्डे राय, सर्वजीत राय पुत्र महानन्द राय, विनोद यादव पुत्र राम दुलारे यादव से जमीन के पैमाइश का विवाद था। दिनांक 24.11.12 को इसी जमीनी रंजिश को लेकर उपरोक्त मुल्जिमान में से प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय, सिद्धार्थ राय मुझे व मेरे पिता जी को मारे–पीटे थे। इसका मुकदमा मैंने थाने पर कायम कराया था। **मेरे पिता जी की हत्या दिनांक 01.12.2012 को भोर में लगभग 4 बजे हुई थी।** घटना वाले दिन रात में मेरे पिता जी मड़ई में सोये थे उस समय प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय, सिद्धार्थ राय, सर्वजीत राय, अखिलेश राय, मनोज राय, विनोद यादव और मेरा सगा छोटा भाई ओंकार गौड़ एक राय होकर लाठी डण्डा व पिस्टल से लैस होकर मेरे पिता जगदीश गौड़ की हत्या करने की नीयत से **जहां हम लोग सोये थे** वहाँ चढ़ आये और मेरे पिता की हत्या की नीयत से **अन्य मुल्जिमानों के ललकारने** पर **मुल्जिम प्रेम राय अपने हाथ में लिए असलहे से मेरे पिता जी के सीने में दाहिने तरफ मेरे सामने गोली मार दिये।** टार्च की रोशनी में घटना को मुल्जिमानों को मैं बखूबी देखा व पहचाना। मेरे पिता को गोली लगने के बाद ही मौके पर मृत्यु हो गयी थी। मुल्जिमान गाली गुप्ता देते हुये भाग गये। मेरे पिता अपने नाम से जो भी जमीने थे वह मेरे, चन्द्रजीत और चन्द्रमोली की औरतों के नाम से बैनामा व वसीयत दोनों किये थे। मेरे पिता जी अपनी जमीन में कोई हक हिस्सा ओंकार और उसकी पत्नी व बच्चों को नहीं दिये थे इसी बात को लेकर घटना के छः महीने पूर्व से पिता से रंजिश रख रहा था और कई बार पिता जी को मार चुका था। इसी रंजिश से मेरा भाई ओंकार मुल्जिमानों के साथ मिलकर पिता की हत्या कराया था। इस घटना के बावत मेरे भाई चन्द्रजीत ने लिखित तहरीर देकर मुल्जिमानों के विरूद्ध मुकदमा कायम कराया था। मैं अपने भाई चन्द्रजीत को बचपन से ही लिखते– पढ़ते देखा हूँ इसलिए मैं उनके लिखावट को बखूबी जानता पहचानता हूँ। शामिल मिसिल कागज सं0–5क पर अपने भाई चन्द्रजीत गौड़ के हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ जिसपर

**प्रदर्श क–1** डाला गया। मेरे पिता जगदीश गौड़ के शव का पंचायतनामा मेरे व मेरे भाई चन्द्रजीत व अन्य गवाहों के समक्ष पुलिस द्वारा लिख पढ़कर तैयार किया गया था। शामिल मिसिल कागज सं0–7क ता 8क पर मैं अपना व अपने भाई चन्द्रजीत के हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करता हूँ। मेरे पिता का शव मेरे सामने सील मुहर करके पी0एम0 हेतु भेजा गया था। घटनास्थल मैंने पुलिस को दिखाया था इस घटना के बावत शामिल मिसिल कागज सं0–16क1 ता 16क4 शपथ पत्र मेरे भाई चन्द्रजीत व मैं फोटो सहित सी0ओ0 चौरीचौरा को दिया था। शामिल मिसिल कागज सं0–16क1 ता 16क2 शपथ पत्र चन्द्रजीत गौड़ पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। कागज सं0–16क3 ता 16क4 पर मैं अपने फोटो व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–4** डाला गया। इस घटना के बावत पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

**8.2 पी०डब्ल्यू० 2 उर्मिला देवी** ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना आज से 3 साल से कुछ अधिक दिन की है, तारीख पहली दिसंबर थी। मेरे ससुर का नाम जगदीश गौड़ था। वह गाँव के बाहर घोठा पर सोते थे उनके साथ घोठा पर मेरे भसुर गुलाब भी सोते थे। घटना वाले रात में भी मेरे भसुर गुलाब गौड़ घोठे पर अपने पिता के साथ सोये थे। मेरे गाँव के प्रेम राय व राजकुमार राय से मेरे ससुर मृतक जगदीश का जमीनी विवाद था। मेरे ससुर को गोली मार कर हत्या की गयी थी। मेरे ससुर की हत्या करने वालों में प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय, सिद्धार्थ राय, अखिलेश राय, सर्वजीत राय और मनोज राय, विनोद यादव और ओंकार गौड़ शामिल थे। इस घटना के 8 दिन पूर्व मुल्जिमान मेरे ससुर और मेरे जेठ गुलाब को इसी जमीनी विवाद के रंजिश के कारण मारे पीटे थे। उसी जमीनी रंजिश के नाते मुल्जिमानों ने मिलकर मेरे ससुर की हत्या कर दी। जब मैं घटनास्थल पर पहुँची तो मेरे भसुर गुलाब गौड़ रो रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि उपरोक्त इन्ही मुल्जिमानों द्वारा जगदीश गौड़ की हत्या कर दी गयी है। हाजिर अदालत मुल्जिम ओंकार गौड़ रिश्ते में मेरे देवर लगते हैं। ओंकार गौड़ से और मृतक जगदीश गौड़ के बीच में जमीनी विवाद के नाते घटना के समय मनमुटाव था। इस घटना के विषय में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

**8.3 पी०डब्ल्यू० 3 फूल कुमारी** ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना आज से लगभग पौने चार साल पूर्व की है। उस दिन मेरे ससुर स्व0 जगदीश और मेरे पति गुलाब गौड़ गाँव के बाहर अपने घोठे पर मड़ई में सोये हुए थे सुबह करीब 4 बजे मेरे ससुर जगदीश गौड़ को गाँव के प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय, सिद्धार्थ राय, अखिलेश राय, सर्वजीत राय, विनोद यादव, मनोज राय और मेरे देवर ओंकार राय एक राय होकर जान मारने की नीयत से मेरे ससुर को गोली मार कर हत्या कर दिये शोर सुनकर मैं भी अपने घोठे पर पहुँची तो मेरे पति रो, रोकर कह रहे थे कि गाँव के प्रेम राय, राजकुमार राय व अन्य सभी मुल्जिमान जमीन की पैमाइश की विवाद को लेकर पिता जी को गोली मार दिये है। मेरे पति ने यह भी बताया कि टार्च की रोशनी में मैंने सभी मुल्जिमानों को देखा व पहचाना। इस घटना के पूर्व भी मुल्जिमान उसी जमीन के विवाद को लेकर मेरे ससुर को मारे पीटे थे। इस घटना के बावत पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

**8.4 पी०डब्ल्यू० 4 चन्द्र मौली** जोकि इस मामले के मृतक जगदीश गौड़ का भाई है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना के समय मैं गुड़गाँव में था। मेरा लड़का आशीष फोन किया था कि बाबा को गोली मार दिया गया है जल्दी से आ जाईये। मेरे लड़के ने बताया कि गाँव के प्रेम राय, राजकुमार राय, मोनू, सिद्धार्थ, अखिलेश राय, मनोज राय, ओंकार जोकि मेरा भाई है ने गोली मारी है। यह घटना मुल्जिमानों ने पुरानी रंजिश के कारण किया था इसके पूर्व दिनांक 24.11.12 को जमीन की पैमाइश को लेकर उक्त मुल्जिमान से झगड़ा हुआ था जिसकी सूचना थाने पर दी गयी थी। दिनांक 01.12.12 को इसी रंजिश को लेकर उपरोक्त मुल्जिमान ने सुबह 4 बजे मेरे पिता जी को घोठा पर गोली मार दिये थे। इस घटना को मेरे भाई गुलाब ने देखा था और मुझे बताया था। मेरा भाई ओंकार गौड़ और उसकी पत्नी मेरे पिता जी से इस बात का झगड़ा करते थे कि अपने खाते का पैसा उनको दे दो और जमीन मेरे नाम लिख दो। इसी बात पर ओंकार गौड़ अन्य मुल्जिमानों से मिल मेरे पिता जी की हत्या कर दिये। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

**8.5 पी०डब्ल्यू० 5 सुनील कुमार गौड़** ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 01.12.12 का है। मैं अपने घर में सोया था घटना की खबर पाकर मैं अपने

घोठा पर पहुँचा तो देखा कि मेरे बाबा गोली की चोट से मरे पड़े है। मेरे पिता गुलाब प्रसाद गौड़ रो रोकर बता रहे थे कि मेरे पिता जी को प्रेम राय मेरे गाँव व राजकुमार राय, नवीन राय उर्फ मोनू राय, सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय गोली मारकर हत्या कर दिये, यही सब बता रहे थे। दिनांक 24.11.12 को खेत नपना था उस दिन मेरे चाचा चन्द्रजीत, गुलाब प्रसाद गौड़ व जगदीश प्रसाद गौड़ को मुल्जिमान प्रेम राय, राजकुमार, नवीन राय उर्फ मोनू राय, सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय इन लोगों ने डंडे व लाठी से मारा था और 01.12.12 को इन लोगों ने मर्डर कर दिया था। पापा ने बताया था गुलाब प्रसाद गौड़ ने, मैंने कुछ नहीं देखा था। मेरे चाचा ओंकार गौड़ मेरे बाबा (मृतक) से झगड़ा करते थे। पैसे के लिए बैंक में जमा पैसे के लिए झगड़ा करते थे और कहते थे यही मुझे चाहिए और खेत मुझे चाहिए। इसी झगड़े को लेकर मेरे चाचा ओंकार गौड़ व अन्य मुल्जिमान मिलकर मेरे बाबा की हत्या कर दिये। मेरे बाबा के लाश का पंचनामा घर पर हुआ था। पंचनामा पर पहले से प्रदर्श क–2 पड़ा हुआ है को देखकर साक्षी ने बताया कि यही मेरे बाबा मृतक जगदीश पंचनामा है जो मेरे सामने हुआ। साक्षी ने प्रदर्श क–2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिसको कैपिटल S से चिन्हित किया गया। इस घटना के बारे में मैंने पुलिस अधिकारियों को जो जानकारी थी बता दिया था।

**8.6 पी०डब्ल्यू० 6 निरीक्षक अजय कुमार ओझा** जोकि इस मामले के विवेचक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 01.12.2012 को मैं थाना झगहां में बतौर थानाध्यक्ष पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मुकदमा अपराध सं0–304/12 धारा–147,148,149,302 भा0द0सं0 बनाम प्रेम राय आदि 9 नफर के अभियोग की विवेचना मैंने ग्रहण की। उस दिन मैंने सी.डी. पर्चा नं0–1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, वादी का बयान, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल के पास से खून आलूदा व सादी मिट्टी ली गयी तथा घटनस्थल के  पास से ही एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद बुलेट प्राप्त हुआ जिसे कब्जा में लेकर सर्व मुहर अलग– अलग डिब्बों में रखकर किया गया तथा उसकी फर्द तैयार की गयी जिसका उल्लेख सी.डी. में किया गया। फर्द कब्जे में लेने खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी की फर्द मेरे द्वारा तैयार की गयी जिसपर साक्षी तुफानी प्रजापति व संदीप विश्वकर्मा के हस्ताक्षर बनवाये गये कागज सं0–10क/1 को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि

की जिसपर **प्रदर्श क–5** डाला गया। फर्द बरामदगी कब्जे में लेने एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद बुलेट पीतल का फायरशुदा पत्रावली पर कागज सं0–10क/2 जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर मौके पर साक्षी तुफानी प्रजापति व संदीप विश्वकर्मा के हस्ताक्षर है जिसपर **प्रदर्श क–6** डाला गया। मेरे द्वारा वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल जो पत्रावली में कागज सं0–6क/1 के रूप में संलग्न है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर **प्रदर्श क–7** डाला गया। दिनांक 03.12.12 को पर्चा नं0–2 किता किया गया जिसमें घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अभियुक्तगणों की तलाश की गयी तथा मौके से लिये गये खून आलूदा, सादी मिट्टी तथा खोखा कारतूस व बुलेट सर्व मोहर को थाना दाखिल कराये जाने का नकल रपट संलग्न रोजनामचा खास किया गया। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया। बरामदशुदा खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी तथा मौके से बरामद एक खोखा कारतूस तथा बुलेट जो एक पारदर्शी हल्के पीले रंग की पन्नी में रखा गया है जो समक्ष न्यायालय खोला गया उसके अन्दर से एक पुरानी सफेद रंग की गंदे कपड़े जिसपर 172–BAL–13 अंकित है तथा जिसपर क्राइम नम्बर 304/12 अन्तर्गत धारा–147,148,149,302 भा0द0सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना झगहां जिला गोरखपुर बनाम प्रेम राय आदि अंकित है जिसपर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया जो समक्ष न्यायालय खोला गया जिसके अन्दर से दो डिब्बे सफेद कपड़े में लिपटा हुआ जिसपर एक भोला ब्रांड तथा एक पर रत्ना ब्रांड लिखा हुआ है तथा एक लिफाफा जिसपर 172–BAL–13 तथा तमंचा जिसपर पेन से 172–BAL–13 गोरखपुर कागज पर लिखकर धागे से लपेटा गया है जिसपर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–2, वस्तु प्रदर्श–3, वस्तु प्रदर्श–4 व वस्तु प्रदर्श–5** डाला गया, को देखकर गवाह ने कहा कि यह दोनों टिन के डिब्बें जो खाली है जिनमं एक में बुलेट व दूसरे में खोखा कारतूस जो घटनास्थल के निरीक्षण से प्राप्त किया हुआ था इनमें रखकर मेरे द्वारा सील किया गया था जिनके कपड़ों पर मेरा हस्ताक्षर है।

**8.7 पी०डब्ल्यू० 7 डॉक्टर दिनेश सिंह** जोकि इस मामले के मृतक के पोस्टमार्टमकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 02.12.12 को मेरी ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करने के लिए लगायी गयी थी। मेरे द्वारा उपरोक्त तिथि को पी.एम. नं0–2026 पर मृतक जगदीश उम्र 70 वर्ष निवासी– डीहघाट थाना झगहां जनपद गोरखपुर का

पोस्टमार्टम किया गया जिसोक एस0ओ0 गुलरिहा द्वारा भेजा गया था। मेरे द्वारा मृतक जगदीश का पी0एम0 **उपरोक्त तिथि को ही 4 बजकर 5 मिनट पी.एम.** पर किया। मृतक जगदीश की लाश को कांस्टेबल जनार्दन दूबे सी.पी.नं0 1049 व चन्द्रिका प्रसाद सी.पी.नं0 705 के द्वारा लाया गया था। लाश का सील सर्वमुहर दुरूस्त था। मृतक का शरीर औसत कद काठी का था शरीर की अकड़न समाप्त हो गयी थी। आँख बन्द थी, मुँह खुला था मुँह से खून निकला था। मृतक के शरीर पर दो चोटों थी। एक चोट फायर आर्म्स इंजरी भी थी जो **दाहिने सीने** पर निप्पल से 5 सेमी0 ऊपर था जिसकी साईज 1 cm X 1 cm अन्दर की तरफ थी, उसके चारो तरफ कालापन था जो सीने के नीचे चोट वाले भाग को खोलकर देखने पर दाहिनी फेफड़ा और 5 सेमी0 झिल्ली फटी हुयी थी और उसमें लगभग 2 लीटर जमा हुआ खून था। गन शार्ट की चोट दाहिनी तरफ पीठ की तरफ एक्जिट बुन्ड बनाते हुए निकल गयी थी। एक्जिट बुन्ड की साईज 1.5 cm X 1.5 cm तथा सभी मार्जिन बाहर की तरफ मुड़ी हुयी थी। चोट आर–पार की थी और दूसरी चोट दाहिने सीने पर कालर वोन के ठीक नीचे एक छिला हुआ घाव था। मृतक का हृदय 200 ग्राम का था जो खाली था, आमाशय में 100 एम.एल. तरल पदार्थ भरा था, छोटी आँत खाली थी, बड़ी आँत में फिकल और गैस था, लीवर का वजन 1200 ग्राम था और गाल ब्लैडर आधार भरा हुआ था। पाचन श्रेणी में कोई दिक्कत नहीं थी। प्लीहा 200 ग्राम, दोनों गुर्दे 210 ग्राम के थे और सामान्य थे। जिस लाश का मेरे द्वारा पोस्टमार्टम किया गया उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम से एक या दो दिन के बीच में हुयी होगी। मृत्यु कारण हेमरेजिक शॉक एन्टीमार्टम इंजरी जो फायर आर्म्स इंजरी से आयी थी। पोस्टमार्टम करने के बाद मेरे द्वारा पोस्टमार्टम की एक–एक प्रति एस.एस.पी. गोरखपुर, एस0ओ0 झगहां व सी0एम0ओ0 गोरखपुर को प्रेषित कर दी गयी। साक्षी ने आगे यह भी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक जगदीश पुत्र सूर्यबली निवासी– डीहघाट थाना झगहां जिला गोरखपुर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सं0–2026 दिनांक 02.12.12 को अपने लेख व दस्तख्त में तैयार किया था जो शामिल पत्रावली पेपर संख्या–14क/1 है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–12** डाला गया।

**8.8 पी०डब्ल्यू० 8 उपनिरीक्षक बादशाह सिंह** जोकि इस मामले के प्राथमिकी लेखक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 01.12.12 को मैं थाना

झगहां पर बतौर कां0 मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे की थी। 8–10 बजे चन्द्रजीत गौड़ एक हस्तलिखित तहरीर लेकर थाने पर आये। उस तहरीर के आधार पर मैं तत्कालीन थाना प्रभारी ए0के0 ओझा के मौखिक निर्देश पर मैं मुकदमा अपराध सं0–304/12 धारा–147,148,149,302 भा0द0सं0 थाना झगहां जिला गोरखपुर दर्ज किया जो चिक सं0–182/12 पर दर्ज हुआ जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो पत्रावली में शामिल कागज सं0–4क है जिसपर **प्रदर्श क–8** डाला गया और मुकदमा अपराध सं0–304/12 की कायमी मेरे द्वारा लिखी गयी जो पत्रावली में कागज सं0–9क है जिसपर **प्रदर्श क–9** डाला गया।

**8.9 पी०डब्ल्यू० 9 निरीक्षक विजय नारायण प्रसाद** जोकि इस मामले के विवेचक है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 07.12.12 को मैं थाना झगहां पर बतौर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उपरोक्त तिथि को मेरे द्वारा मुकदमा अपराध सं0–304/12 धारा–147,148,149,302 भा0द0सं0 थाना झगहां जिला गोरखपुर की विवेचना ग्रहण किया और पूर्व पर्चों का अवलोकन किया गया। पर्चा नं0–5 दिनांक 09.12.12 को किता किया गया जिसमें वादी का तलाश किया गया वह नहीं मिला। पर्चा नं0–6 दिनांक 14.12.12 को किता किया जिसमें मृतक जगदीश के पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन सी.डी. में किया और पंचायतनामे का अवलोकन कर उसका अंकन सी.डी. में किया। दिनांक 23.12.12 को वादी का मजीद बयान लिया और मजीद निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाह गुलाब चश्मदीद साक्षी, मृतक की बड़ी बहु फूल कुमारी देवी का बयान, मृतक की छोटी बहु उर्मिला देवी का बयान व मृतक का लड़का चन्द्रमोली गौड़ का बयान तथा बयान गवाह फर्द खून आलूदा संदीप विश्वकर्मा व तुफानी प्रजापति का अंकन पर्चे में किया गया। दिनांक 26.12.12 को बयान गवाह पंचायतनामा सुनील गौड़ तथा बयान नाती मृतक आशीष गौड़ व बयान गवाह पंचायतनामा आजाद राय, राम प्रसाद राय व बयान गवाह पंचायतनामा कर्ता उ0नि0 सुरेश कुमार यादव के बयान का अंकन करते हुए पर्चा नं0 8 किता किया। दिनांक 29.12.12 जिसमें बयान कांस्टेबल जनार्दन दूबे व का0 चन्द्रिका प्रसाद का अंकन करते हुए पर्चा नं0 9 किता किया। दिनांक 31.12.12 को अभियुक्त की तलाश की गयी जिसका वर्णन करते हुए पर्चा नं0 10 किता किया गया। दिनांक

03.01.13 को पी0एम0 करने वाले डॉक्टर के बयान का अंकन करते हुए पर्चा नं0 11 किता किया। दिनांक 05.01.13 को अभियुक्त की तलाश किया गया जिसका अंकन करते हुए पर्चा नं0 12 किता किया गया। दिनांक 08.01.13 को वादी द्वारा किये गये शपथ–पत्र का अंकन पर्चे में किया। गुलाब द्वारा दिये गये शपथ पत्र का अंकन पर्चे में करते हुए दोनों का मजीद बयान अंकित कर पर्चा नं0 13 किता किया। दिनांक 09.01.13 को अभियुक्त के विरूद्ध एन0बी0डब्ल्यू0 लेने का प्रत्यवेदन किया गया जिसका अंकन पर्चे में करते हुए पर्चा नं0 14 किता किया। **दिनांक 11.01.13 को अभियुक्त ओंकार गौड़ की गिरफ्तारी व उसके बयान का अंकन तथा उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद देशी कट्टा 0.32 बोर बरामद तथा नक्शा नजरी बरामदगी स्थल तैयार किया गया** जिसका अंकन पर्चें में करते हुए पर्चा नं0 15 किता किया गया। अभियुक्त के निशानदेही पर बरामदशुदा आलाकत्ल की फर्द मेरे द्वारा घटनास्थल पर ही लिखी गयी जो पत्रावली में शामिल कागज सं0 17क है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर **प्रदर्श क–10** डाला गया और अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदशुदा आलाकत्ल की बरामदगी स्थल की नक्शा नजरी मेरे द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी थी जो पत्रावली में 6क/2 है जिसपर **प्रदर्श क–11** डाला गया। दिनांक 12.01.13 को जिसमें बयान गवाह फर्द जिसमें कांस्टेबल सचिन कुमार यादव, रमेश प्रताप पाण्डेय, अवधेश कुमार सिंह, उमेश यादव व नन्दलाल व श्री विनय कुमार राय, शैलेश कुमार राय के बयान का अंकन करते हुए पर्चा नं0 16 किता किया। दिनांक 16.01.13 को पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा को लालजी राय, मुक्तिनाथ राय व सोमनाथ राय द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र व शपथ पत्र का अंकन पर्चे में किया गया तथा राजेन्द्र चौबे द्वारा दिये गये शपथ पत्र का व तुफानी तथा महेन्द्र नारायण द्वारा प्राप्त शपथ पत्र का अवलोकन कर पर्चे में अंकन कर पर्चा नं0 17 किता किया गया। दिनांक 18.01.13 को बयान राजेन्द्र चौबे, तुफानी व महेन्द्र रामा का अंकन करते हुए पर्चा नं0 18 किता किया। दिनांक 23.01.13 को अभियुक्तों के विरूद्ध एन0बी0डब्ल्यू0 के तामिला का प्रयास किया गया जिसका अंकन करते हुए पर्चा नं0 19 किता किया। दिनांक 29.01.13 को नवीन उर्फ मोनू द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया जिसका अंकन पर्चे में करते हुए पर्चा नं0 20 किता किया। दिनांक 02.02.13 को अभियुक्त राजकुमार राय के अदालत में हाजिर होने की सूचना व हरेन्द्र राय व राजेन्द्र राय द्वारा दिये गये शपथ पत्र का अवलोकन कर पर्चे में अंकन किया व चश्मदीद

साक्षी रामबेलास, राम सुधारे यादव के बयान का अंकनन पर्चे में किया गया व बयान शपथकर्ता हरेन्द्र राय व राजेन्द्र राय के बयान का अंकन करते हुए पर्चा नं0 21 किता किया। दिनांक 03.02.13 को अभियुक्त नवीन उर्फ मोनू राय व राजकुमार राय के बयान का अंकन करते हुए पर्चा नं0 22 किता किया। दिनांक 07.02.13 को अभियुक्त प्रेम राय भी न्यायालय में आत्मसमर्पण की सूचना का अंकन व अमरनाथ राय, सत्यप्रकाश राय द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिये गये शपथ पत्र का अंकन करते हुए पर्चा नं0 23 किता किया। दिनांक 13.02.13 को बयान शपथकर्ता लालजी राय, मुक्तिनाथ राय, सोमनाथ राय, अमरनाथ राय, उपेन्द्रनाथ राय, सत्यप्रकाश राय, राजेन्द्र राय तथा बयान नामित आरोपी सर्वजीत राय, विनोद यादव, अखिलेश राय, मनोज राय के बयान का अंकन करते हुए पर्चा नं0 24 किता किया। दिनांक 14.02.13 को अभियुक्तगणों के विरूद्ध एन0बी0डब्ल्यू0 का तामिला का प्रयास करने का अंकन करते हुए पर्चा नं0 25 किता किया। **दिनांक 15.02.13 को अभियोजन स्वीकृति आदेश का अवलोकन** तथा नकल हाजिरी सूचना सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू का अंकन करते हुए पर्चा नं0 26 किता किया। दिनांक 18.02.13 को अवलोकन एन0सी0आर0 83/12 कर उसका अंकन पर्चे में किया व इंजरी रिपोर्ट गुलाब प्रसाद का अवलोकन कर पर्चे में किया व जिला कारागार गोरखपर जाकर अभियुक्त प्रेम राय व सिद्धार्थ राय का बयान लिया उसका अंकन करते हुए पर्चा नं0 27 किता किया। साक्षी ने आगे कहा है कि बरामदशुदा माल न्यायालय में सफेद रंग के कपड़े में बांधकर लाया गया है। कपड़े पर ऊपर मु0अ0सं0 304/12 धारा–302 लिखा हुआ है। माननीय न्यायालय की अनुमति से कपड़े की गाँठ खोली गयी जिसके अन्दर पालीथीन में जो सीलयुक्त हालत में है। पालीथीन का सील खोला गया जिसमें से अभियुक्त ओंकार गौड़ के निशानदेही पर बरामदशुदा देशी कट्‌टा 32 बोर सफेद फटे कपड़े में एक अदद है जो इसके पूर्व माननीय न्यायालय में पेश हुआ था जिसपर पूर्व में वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया है। साक्षी ने देशी कट्टा 32 बोर को देखकर कहा कि यह वही कट्टा है जिसे अभियुक्त ओंकार गौड़ ने सरस्वती राय के बांस की ओट में से निकालकर दिया था तथा बताया था कि इसी असलहे से एक ही गोली अपने पिता को मारकर सहयोगियों के साथ हत्या किया था। बरामदशुदा देशी कट्टा को मय केस डायरी धारा 39 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था उन्होंने दिनांक 14.02.13 को टाईपशुदा अभियोजन स्वीकृति पर मेरे सामने अपना सूक्ष्म हस्ताक्षर बनाया था।

अभियोजन स्वीकृति शामिल पत्रावली कागज सं0 21क/4 है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–17** डाला गया। तमामी विवेचना बयान वादी व गवाहान निरीक्षण घटनास्थल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बरामद माल व आलाकत्ल व अन्य साक्षियों से अभियुक्तगण प्रेम राय व राजकुमार राय पुत्रगण सदानन्द राय, नवीन राय उर्फ मोनू राय पुत्र सर्वजीत राय, सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय पुत्र शिवकुमार राय एवं ओंकार गौड़ पुत्र स्व0 जगदीश गौड़ निवासीगण ग्राम डीहघाट थाना झगहां जिला गोरखपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा–147,148,149,302 भा0द0सं0 एवं अभियुक्त ओंकार गौड़ पुत्र स्व0 जगदीश गौड़ के विरूद्ध उक्त धाराओं के साथ साथ धारा–3/25 आयुध अधिनियम का अपराध बाखूबी साबित पाते हुए सभी अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप–पत्र दिनांक 22.02.13 को आरोप–पत्र सं0–13/13 नियमानुसार दाखिल किया। आरोप–पत्र शामिल पत्रावली कागज सं0–3क/1 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–18** डाला गया।

**8.10 पी०डब्ल्यू० 10 निरीक्षक सुरेश कुमार यादव** जोकि इस मामले के पंचनामाकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 01.12.12 को में पुलिस चौकी बरही थाना झगहां जिला गोरखपुर में बतौर चौकी इन्चार्ज नियुक्त था। उक्त तिथि को चन्द्रजीत गौड़ पुत्र जगदीश गौड़ निवासी– ग्राम डीहघाट थाना झगहां जिला गोरखपुर के पिता जगदीश गौड़ की गोली मारकर हत्या किये जाने की सूचना पर मैं मय हमराह जनार्दन दूबे घटनास्थल पर पहुँचा था। एस0ओ0 के निर्देश पर मैंने मृतक जगदीश उम्र 70 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सूर्यबली निवासी– डीहघाट थाना झगहां के शव को सील मोहर कर उपस्थित लोगों में से पंचाग नियुक्त कर पंचायतनामा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। पंचायतनामा मृतक जगदीश गौड़ शामिल पत्रावली कागज सं0–7क/1 ता 7क/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर पंचों के भी हस्ताक्षर है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ जिसपर पहले से प्रदर्श क–2 डाला गया है। घटनास्थल चिट्ठी सी0एम0ओ0, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, फोटोनाश व पुलिस प्रपत्र सं0–13 मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार कर शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिये करने वाले कांस्टेबल जनार्दन दूबे, चन्द्रिका प्रसाद को सुपुर्द किया। चिट्ठी सी0एम0ओ0, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, फोटोनाश व पुलिस प्रपत्र संख्या–13 शामिल पत्रावली क्रमशः कागज सं0–11क/1,

11क/2,11क/3 व 11क/4 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जिसपर क्रमशः **प्रदर्श क–13, प्रदर्श क–14, प्रदर्श क–15 व प्रदर्श क–16** डाला गया।

**8.11** उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित **डी०डब्ल्यू०–1** अखिलेश प्रताप चौहान ने अपने **मुख्य परीक्षा** में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया है कि मेरा घर नथुआ में है। मेरी पत्नी नथुआ की ग्राम प्रधान है। चन्द्रमणि की बेटी आरती देवी है जो मेरे गाँव की निवासी है। आरती देवी की शादी ओमकार गौड़ के साथ 1998–99 में हुई थी। वह विदा होकर अपने ससुराल डीहघाट के थाना झगहां में गई थी। कुछ साल (4–5) रहने के बाद पुनः अपने मायके नथुआ चली आई और अपने पति के साथ रहने लगी। चन्द्रमणि गौड़ 10 कमरे का मकान बनवाये है उसी कमरे में से एक कमरा आरती गौड़ और पति को दे दिये और उसी में दोनों लोग रहने लगे। ओमकार गौड़ के बच्चे मेरे ही गाँव में पैदा हुए उसके 3 बच्चे, एक लड़की व 2 लड़के हुए लड़की का नाम सोनाली, बड़े बच्चे का नाम अभय व दीपक है। मेरी पत्नी के नाम लीलावती है जो ग्राम प्रधान है। पत्रावली में ओमकार आधार कार्ड कागज सं0–139ख, निर्वाचन कार्ड 139ख/2, परिवार रजिस्टर छायाप्रति 140ख, राशन कार्ड 141ख, पैन कार्ड 141ख/3, आरती का निर्वाचन कार्ड 141ख/4 की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। चन्द्रमणि के 3 लड़के है और 2 लड़कियाँ है जिनके नाम उमाशंकर, दूसरे का दयाशंकर, तीसरे हरिशंकर तीनों लड़के बाहर परिवार सहित रहते है और गाँव भी कभी–कभी आते हैं।

**8.12** उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित **डी०डब्ल्यू०–2** ओंकार/ओमकार गौड़ ने अपने **मुख्य परीक्षा** में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया है कि मेरी शादी हुए 28–29 वर्ष हो गया। मेरी शादी आरती देवी निवासी नथुआ थाना पिपराईच के साथ हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं ग्राम डीहघाट, झगहां, गोरखपुर में रहता था। शादी के 3–4 साल बाद मेरे भाई गुलाब, चन्द्रमोली, चन्द्रजीत ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिये तभी से मैं पत्नी के साथ ग्राम नथुआ में रहने लगे। मेरे तीन बच्चे है जिनके नाम अभय कुमार उसके बाद लड़की सोनाली और छोटा लड़का दीपक पैदा हुआ। मेरे सारे लड़के नथुआ में ही पैदा हुए है और वहीं पर रहकर पढ़ते है। मेरे ससुर का नाम चन्द्रमणि गौड़ है वे 10 कमरे का मकान बनवाये थे उसी में से एक कमरा

मुझे रहने के लिए दिये थे। नथुआ गाँव में रहने का परिवार रजिस्टर की मूलप्रति आज मैं दाखिल किया हूँ जो 142ख कागज संख्या है इसपर **प्रदर्श ख–1** डाला गया। मैंने अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व अपनी पत्नी का वोटर कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया है इन सभी प्रपत्रों का मूल लाया हूँ जिनसे मिलान कर उनकी छायाप्रति प्रमाणित कर रहा हूँ जिसमें क्रमशः **प्रदर्श ख–2, ख–3, ख–4, ख–5, ख–6, ख–7** डाला गया। घटना दिनांक 01.12.12 को कथित घटना के समय मैं अपने घर नथुआ थाना पिपराईच में था। मेरे भाई गुलाब वगैरह फर्जी रूप से इस मुकदमे में अभियुक्त बनाये। मेरे कुल तीन साले है जो बाहर रहते हैं।

**9. साक्ष्य का मूल्यांकन एवं निष्कर्ष–**

**9.1** सम्पूर्ण पत्रावली का गहन परिशीलन किया गया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तगण द्वारा रखे गये तर्कों का मनन किया गया तथा पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किये गये विभिन्न आदरणीय न्यायिक दृष्टांतों का बारीकी से अध्ययन किया गया और उनमें निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी दृष्टिगत रखते हुए इस वर्तमान मामले में न्यायालय निष्कर्ष तक पहुँची है।

**9.2** अभियोजन कथानक एक हस्तलिखित तहरीर पर आधारित प्राथमिकी से जनित हुआ है। उक्त हस्तलिखित तहरीर दिनाँक 01.12.2012 को थाना झगहां जिला गोरखपुर को **प्रार्थी चन्द्रजीत गौड़ पुत्र स्व0 जगदीश गौड़** द्वारा इस आशय का दिया गया कि दिनांक 24.11.2012 को उसका प्रेम राय पुत्र सदानन्द राय, राजकुमार राय पुत्र सदानन्द राय, नवीन राय उर्फ मोनू राय पुत्र सर्वजीत राय, सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय पुत्र शिवकुमार राय से जमीन की पैमाइश को लेकर झगड़ा हो गया था जिसका एन.सी.आर. थाने पर दर्ज है। उसी बात को लेकर आज दिनांक 01.12.2012 सुबह 4 बजे उक्त एवं 5 लोग अखिलेश राय पुत्र मारकण्डे राय, मनोज राय पुत्र मारकण्डे राय, सर्वजीत राय पुत्र स्व0 महानन्द राय, विनोद यादव पुत्र रामदुलारे यादव उसके पिता जगदीश गौड़ जो घोठा पर सो रहे थे। आये और आकर गोली मार दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर के वे बाहर निकले तब उक्त लोग भाग रहे थे। उक्त

व्यक्तियों के साथ उसका भाई ओंकार गौड़ भाग रहा था। मौके पर गाँव वाले इक्ट्ठा हो गये। भागते समय उसके भाई गुलाब प्रसाद गौड़ ने देखा है और पहचाना है। उक्त तहरीर में यह पुनः लिखा गया है कि ओंकार भी घटना में उक्त लोगों के साथ था। उक्त तहरीर में अग्रेतर अंकित है कि उसके पिता की लाश घर पर पड़ी है, वह सूचना देने आया है उचित कार्यवाही की जाये साथ ही यह तथ्य भी उक्त तहरीर में अंकित है कि उपरोक्त मुल्जिमान डीहघाट के है और मृतक जगदीश की उम्र 70 वर्ष के लगभग है।

**9.3** उक्त लिखित तहरीर के आधार पर प्राथमिकी संख्या–182/12, थाना झगहां, जिला गोरखपुर पर नामजद अभियुक्तगण 1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय 5. अखिलेश राय 6. मनोज राय 7. सर्वजीत राय 8. विनोद यादव 9. ओंकार गौड़ के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–147,148,149,302 भा0द0सं0 अस्तित्व में आया। तत्पश्चात् संबंधित पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गई। विवेचना पश्चात् आरोप–पत्र संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 28.02.2013 को प्रस्तुत किया गया और उसी दिनांक 28.02.2013 को संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोप–पत्र में इंगित अपराध का संज्ञान आरोप–पत्र में दर्शाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध लिया।

**9.4** उल्लेखनीय रूप से इस मामले की प्राथमिकी में कुल 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया था जिनके नाम हैं 1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय 5. अखिलेश राय 6. मनोज राय 7. सर्वजीत राय 8. विनोद यादव 9. ओंकार गौड़ जबकि उक्त आरोप–पत्र में संबंधित पुलिस द्वारा केवल 1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय 5. ओंकार गौड़ के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय रूप से उक्त आरोप–पत्र में यह तथ्य भी अंकित है कि अभियुक्त ओंकार गौड़ के द्वारा धारा–3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध कारित किया गया, बखूबी पाया जा रहा है। तत्पश्चात् मामले को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा पत्रावली सत्र न्यायालय उपार्पित कर दिया गया, जहाँ से अन्तरण के आधार पर यह मामला इस न्यायालय को परीक्षण तथा निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ।

**9.5** अपने कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल 10 गवाहों को प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया है साथ ही अभियोजन द्वारा अनेकशः दस्तावेज न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय के इंस्पेक्शन हेतु किया जिसका विवरण इस निर्णय के उपरोक्त अंश में दिया गया है।

**9.6** उल्लेखनीय रूप से आरोप–पत्र में इंगित एक अभियुक्त सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय को न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल अपचारी घोषित किये जाने की स्थिति में उससे संबंधित पत्रावली मेरे विद्वान पूर्ववर्ती के आदेश दिनांक 27.09.2013 के द्वारा विद्वान न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया था। उल्लेखनीय रूप से शेष चार अभियुक्तगण जोकि 1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़ हैं, ने अपने कथन अंकित अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत उनसे पूछे गये सभी 30 प्रश्नों के जवाब में उनपर लगे आरोप को सीधे–सीधे नकारा गया है। उक्त सभी चार अभियुक्तगण ने अपने बचाव में सफाई साक्ष्य देने की बात कही गई थी। उल्लेखनीय रूप से इनमें से एक अभियुक्त ओंकार गौड़ से जब उससे यह पूछा गया कि क्या उसे और कुछ कहना है जोकि प्रश्न संख्या 30 था, में जवाब दिया है कि

> **उसके भाई गुलाब, चन्द्रमोली व चन्द्रजीत ने घटना के दो साल पहले ही उसे घर से निकाल दिया था। वह अपने ससुराल ग्राम नथुआ थाना पिपराईच में रहता है। वह निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है।**

**9.7** उल्लेखनीय रूप से अभियुक्त ओंकार गौड़ की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित सात दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं–

1. ओंकार के आधार कार्ड की छायाप्रति
2. ओंकार के मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति
3. परिवार रजिस्टर की छायाप्रति
4. खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश से संबंधित कागजात
5. ओंकार के पैन कार्ड की छायाप्रति

6. आरती गौड़ का मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति

7. आरती के पैन कार्ड की छायाप्रति

**9.8** अभियुक्त ओंकार गौड़ की तरफ से मौखिक साक्ष्य के रूप में दो गवाहों को प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया गया है। पहला गवाह **डी0डब्ल्यू0–1** अखिलेश प्रताप चौहान तथा दूसरे गवाह **डी0डब्ल्यू0–2** के रूप में ओंकार गौड़ स्वयं उपस्थित एवं परीक्षित हुआ है, अन्य अभियुक्तगणों के द्वारा अपने बचाव हेतु किसी भी साक्षी को प्रस्तुत एवं परीक्षित नहीं कराया गया है।

**9.9** उल्लेखनीय रूप से इस मामले के वादी/ इनफॉर्मेंट चन्द्रजीत गौड़ की मृत्यु इस मामले के लम्बित रहने के दौरान हो जाने की वजह से वह न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। हालांकि उक्त तहरीर को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित कराये गये गवाह **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब प्रसाद गौड़ जो वादी/ इनफॉर्मेंट चन्द्रजीत गौड़ के भाई है के द्वारा साबित किया गया है। उल्लेखनीय रूप से उक्त लिखित तहरीर में मुख्य रूप से यह अंकित है कि इनफॉर्मेंट का इस मामले के अभियुक्तगण प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय उर्फ मोनू राय, सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय और शिवकुमार राय से दिनांक 24.11.2012 को जमीन की पैमाइश को लेकर झगड़ा हो गया उसके संबंध में एक एन0सी0आर0 संबंधित थाने पर अंकित हुआ था। उक्त तहरीर में यह अंकित है उसी बात को लेकर आज दिनांक 01.12.2012 को सुबह 4 बजे उक्त लोग एवं 5 अन्य लोग अखिलेश राय, मनोज राय, सर्वजीत राय, विनोद यादव उस स्थान पर (घोठा पर) जहां इनफॉर्मेंट के पिता जगदीश गौड़ सो रहे थे आये और आकर गोली मार दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उक्त इनफॉर्मेंट आगे लिखता है कि गोली आवाज सुनकर वह (हम) बाहर निकला तब उक्त लोग भाग रहे थे। उल्लेखनीय रूप से उक्त लिखित तहरीर में अग्रेतर यह लिखा गया है कि उक्त व्यक्तियों के साथ उसका भाई ओंकार गौड़ भाग रहे थे। मौके पर गाँव वाले इक्ट्ठा हो गये। भागते समय इनफॉर्मेंट के भाई गुलाब प्रसाद गौड़ ने देखा है और पहचाना है। उल्लेखनीय रूप से उक्त लिखित तहरीर में यह तथ्य विशिष्ट रूप से लिखा गया है कि ओंकार भी उक्त घटना में उक्त लोगों के साथ था। उल्लेखनीय रूप से उक्त लिखित तहरीर में यह अंकित है कि उपरोक्त मुल्जिमान डीहघाट के है और मृतक जगदीश की उम्र 70 वर्ष के लगभग है। उल्लेखनीय रूप से

इस वर्तमान मामले में जिसमें जगदीश गौड़ की मृत्यु कारित हुई थी घटना का समय दिनांक 01.12.2012 के सुबह 4 बजे का बताया गया है जबकि इस मामले की प्राथमिकी 01.12.2012 के प्रातः 08.10 बजे अस्तित्व में आया है जबकि घटनास्थल ग्राम डीहघाट संबंधित थाने से 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था इस प्रकार से इस मामले में इनफॉर्मेंट के द्वारा कुल 9 व्यक्तियों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था जबकि संबंधित पुलिस द्वारा जिनके नाम हैं 1. प्रेम राय पुत्र सदानन्द राय 2. राजकुमार राय पुत्र सदानन्द राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. सिद्धार्थ राय उर्फ छोटू राय 5. ओमकार गौड़ पुत्र जगदीश गौड़ को नामित करते हुए आरोप–पत्र प्रस्तुत किया था।

**9.10** उल्लेखनीय उक्त आरोप–पत्र में यह तथ्य अंकित है कि अभियुक्त ओंकार गौड़ के विरूद्ध भा0द0सं0 के अन्य अपराध के साथ साथ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध बनना पाया गया था।

**9.11** उल्लेखनीय रूप से **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब प्रसाद गौड़ जोकि इस मामले के मृतक का पुत्र है ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि वह 4 भाई है, सबसे बड़ा भाई वह स्वयं थ और दूसरे नम्बर पर चन्द्रमोली, तीसरे नम्बर ओंकार गौड़ और चौथे नम्बर स्वर्गीय चन्द्रजीत गौड़ यानी इनफॉर्मेंट था। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने यह साक्ष्य दिया है कि उसके भाई चन्द्रजीत की मृत्यु एक साल पूर्व हो गई थी। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि इस मामले के अभियुक्तगणों द्वारा उसके परिवार के बीच जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद था और दिनांक 24.11.2012 को इसी जमीनी पैमाइश को लेकर उसके और अभियुक्तगण प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय तथा सिद्धार्थ राय के विरूद्ध थाने पर करवाया था। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर साक्ष्य दिया है कि उसके पिता जी की हत्या दिनांक 01.12.2012 को भोर के लगभग 4 बजे हुई थी। घटना वाले दिन रात में उसके पिता जी मड़ई में सोये थे। उस समय प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय, सिद्धार्थ राय, सर्वजीत राय, अखिलेश राय, मनोज राय, विनोद यादव और उसका सगा छोटा भाई ओंकार गौड़ एक राय होकर लाठी डण्डा व पिस्टल से लैस होकर उसके पिता जगदीश गौड़ की हत्या करने की नीयत

से **जहां वे लोग सोये थे वहां चढ़ आये और उसके पिता की हत्या की नीयत से अन्य मुल्जिम के ललकारने पर मुल्जिम प्रेम राय अपने हाथ में लिये असलहे से उसके पिता के सीने में दाहिने तरफ उसके सामने गोली मार दिये।** टार्च की रोशनी में घटना को मुल्जिमानों को बखूबी देखा पहचाना उसके पिता की गोली लगने के बाद ही मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मुल्जिमान गाली गुप्ता देते हुए भाग गये।

**9.12** उल्लेखनीय रूप में उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर यह साक्ष्य दिया है कि उसके पिता अपने नाम से जो भी जमीनें थे वह उसके, चन्द्रजीत और चन्द्रमोली की औरतों के नाम से बैनाम व वसीयत दोनों किये थे उसके पिता जी अपनी जमीन में कोई हक हिस्सा ओंकार व उसकी पत्नी और बच्चों को नहीं दिये थे। इसी बात को लेकर घटना के 6 महीने पूर्व से ओंकार उसके पिता से रंजिश रख रहा था और कई बार पिता जी को मार चुका था। इसी रंजिश से उसका भाई ओंकार मुल्जिमानों के साथ मिलकर पिता की हत्या कराया था। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने इस मामले की तहरीर को न्यायालय के समक्ष साबित किया है। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे यह साक्ष्य दिया है कि उसके पिता जगदीश गौड़ के शव का पंचायतनामा उसके व उसके भाई चन्द्रजीत व अन्य गवाहों के समक्ष पुलिस द्वारा लिख पढ़कर तैयार किया गया था। उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि उसने घटनास्थल पुलिस को दिखाया था। इस प्रकार से इस **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब प्रसाद गौड़ की मुख्य परीक्षा में आये संदर्भ से निम्नलिखित तथ्य निकलकर सामने आते हैं–

1. गुलाब प्रसाद गौड़ इस मामले के मृतक का बड़ा बेटा था।
2. इस मामले के इनफॉर्मेंट चन्द्रजीत गौड़ की मृत्यु हो चुकी है।
3. इस मामले की घटना के पूर्व जमीन की पैमाइश को लेकर अभियुक्तगण एवं इस गवाह के परिवार के बीच दिनांक 24.11.2012 को हुआ था उसके संदर्भ में संबंधित थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
4. इस मामले की घटना दिनांक 01.12.2012 के प्रातः 4 बजे की है।
5. **घटना वाले दिन रात में उसके पिता यानी मृतक मड़ई में सोये थे।**

6. घटना के समय प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय, सिद्धार्थ राय, सर्वजीत राय, अखिलेश राय, मनोज राय, विनोद यादव और उसका छोटा भाई ओंकार गौड़ एक राय होकर लाठी डण्डा व पिस्टल से लैस होकर उसके पिता जगदीश गौड़ की हत्या करने की नीयत से जहां वे लोग (मृतक एवं यह **पी0डब्ल्यू0–1** सोये थे) वहां चढ़ आये और उसके पिता की हत्या की नीयत से अन्य मुल्जिमानों के ललकारने पर **मुल्जिम प्रेम राय अपने हाथ में लिये असलहे से उसके पिता के सीने के दाहिने तरफ उसके सामने गोली मार दी।**

7. अर्थात् इस **पी0डब्ल्यू0–1** के अनुसार वह घटनास्थल पर मौजूद था और उसके सामने ही अभियुक्त प्रेम राय ने उसके पिता को गोली मारी थी।

8. टार्च की रोशनी में घटना के मुल्जिमानों को बखूबी देखा और पहचाना।

9. घटनास्थल पर ही उसके पिता जी की यानी मृतक की मृत्यु हो गई।

10. उसके बाद मुल्जिमान गाली गुप्ता देते हुए वहां से भाग गये।

11. मृतक यानी उसके पिता ने अपने नाम की सारी सम्पत्ति उसके और उसके अन्य भाई चन्द्रजीत और चन्द्रमोली की औरतों के नाम कर दिया था किन्तु उसके भाई ओंकार और उसकी पत्नी और बच्चों के नाम उन्होंने कोई हिस्सा नहीं दिया था जिससे ओंकार पिता से रंजिश रखता था और कई बार उसके पिता को वह मार भी चुका था।

12. घटना के बावत लिखित तहरीर उसके भाई चन्द्रजीत ने दिया था।

13. मृतक के शव के पंचायतनामा के यह **पी0डब्ल्यू0–1** एक गवाह है।

**9.13** इस प्रकार से मुख्य रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिये गये साक्ष्य से यह तथ्य सामने आता है कि यह **पी0डब्ल्यू0–1** घटना के समय अपने पिता के साथ ही सोया हुआ था और उसके सामने ही उसके पिता को गोली मारी गई थी और इस प्रकार से यह **पी0डब्ल्यू0–1** इस मामले के घटना का एक चक्षुदर्शी साक्षी प्रतीत हो रहा है।

**9.14** यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता खासकर अभियुक्त नवीन राय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्ली अपनी बहस के दौरान लिया गया है कि इस मामले की तहरीर के अनुसार न ही इनफॉर्मेंट चन्द्रजीत गौड़ ने और न गुलाब प्रसाद गौड़

जोकि **पी0डब्ल्यू0–1** ने कथित घटना को घटित होते अपनी आँखों से देखा था क्योंकि गोली की आवाज सुनकर जब इनफॉर्मेंट बाहर निकला तब उक्त लोग भाग रहे थे साथ ही उक्त तहरीर में यह लिखा है कि भागते समय उक्त इनफॉर्मेंट चन्द्रजीत का भाई गुलाब प्रसाद गौड़ ने देखा। इस प्रकार से उक्त इनफॉर्मेंट चन्द्रजीत गौड़ तथा इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने घटना को अपनी आँखों से नहीं देखा था यह तथ्य स्पष्ट है और इस प्रकार से इस **पी0डब्ल्यू0–1** को इस मामले की कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं नहीं कहा जा सकता है और इसके द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित हुआ होना नहीं कहा जा सकता। इस न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये इस दलील पर विचार किया गया है और इस संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष इस निर्णय के आगामी भाग में दृष्टिगोचर होगा।

**9.15** उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** की प्रतिपरीक्षा में आये तथ्य से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि मृतक ने अपने सम्पत्ति में से अभियुक्त ओंकार गौड़ और उसके परिवार को हिस्सा नहीं दिया था जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त ओंकार गौड़ की अपने पिता के प्रति वैमानस्यता था। उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसके भाई चन्द्रजीत गौड़ ने अपने हाथ से तहरीर लिखकर दिया था। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि घटनास्थल उसकी मड़ई में है। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी दिनांक 24.11.2012 को मारपीट होने की बात कही थी। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि नवीन राय उसके गाँव के रहने वाले है जमीन की रंजिश सभी मुल्जिमानों से कब्जे के बावत विवाद है। इस प्रकार इस **पी0डब्ल्यू0–1** की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में आये संदर्भ से यह तथ्य निकल कर सामने आ रहा है कि अभियुक्तगणों का मृतक के परिवार के साथ जमीन को लेकर रंजिश था। उल्लेखनीय रूप इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ सं0 8 पर कहा है कि घटना के उसके पिता जी घोठा (मुख्य घर से अलग हटकर बनाया गया स्ट्रक्चर) वाले घोठा वाले मकान पर सोये थे खाना उसके गाँव वाले मकान पर बनाता है सिर्फ उसके और उसके पिता जी के लिए खाना गाँव के मकान से बनकर खाने के लिए घोठे वाले मकान के लिए जाता है। घोठे वाले मकान पर वह और उसके पिता जी रहते थे परिवार के बाकी सदस्ये पुराने वाले मकान पर खाना पीना

होता था। अग्रेतर इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ सं0 9 पर कहा कि घटना के बाद चन्द्रजीत गौड़ को गाँव वाले मकान पर खबर दी गई तो घोठे वाले मकान पर आया वह उससे पूछा कि कैसा क्या हो गया तो उसने बताया। **यहाँ यह अति महत्वपूर्ण है कि इस पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह मड़ई में सोया था। उल्लेखनीय रूप से इस पी0डब्ल्यू0–1 की प्रतिपरीक्षा में आये तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि यह पी0डब्ल्यू0–1 घटना दिनांक और समय को मृतक के साथ घोठा/ मड़ई में सोया था और ऐसे में यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि इस पी0डब्ल्यू0–1 के द्वारा उसके पिता को गोली मारने वाले लोगों को देखा गया था, यह और भी पुष्ट हो रहा है और ऐसे में यदि इस बारे में विचार किया जाये कि यदि साथ सोये व्यक्ति को कोई गोली मारता है तब वैसी स्थिति में साथ सोये व्यक्ति की निद्रा अवश्य ही भंग होगी और उसके द्वारा घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को न देखा गया हो ऐसा अवधारित नहीं किया जा सकता।**

**9.16** उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि जब उसकी नींद खुली तब उसने अपने पिता जी के कराहने व चिल्लाने की आवाज सुनी। इस सन्दर्भ में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह दलील रखी गई कि इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब उसकी नींद खुली तब उसके पिता कराह रहे थे। इसका अर्थ है कि इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने किसी को भी पिता को गोली मारते या मारते नहीं देखा। न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष की इस दलील पर विचार किया गया है। स्पष्ट रूप से बचाव पक्ष के द्वारा इस **पी0डब्ल्यू0–1** की प्रतिपरीक्षा में जो प्रश्न पूछे गये उसी के हिसाब से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने उत्तर दिया है, अर्थात् इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने यह कहा है कि जब उसकी तंद्रा भंग हुई तब उसके पिता कराह रहे थे। इसका यह अर्थ नहीं कि जब इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने जोकि अपने पिता के साथ स्वीकृत रूप से सोया हुआ था कि आँख खुली तब उसने आक्रांताजनों को नहीं देखा और अतएव यह न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क को बलहीन समझती है।

**9.16.1 बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी रखा गया है कि उक्त पी०डब्ल्यू०–1 गुलाब ने अपने पूर्व के बयान में ऐसा नहीं कहा था कि उसने अभियुक्तगणों को गोली मारते देखा था जबकि न्यायालय में दिये गये अपने बयान में इस पी०डब्ल्यू०–1 ने यह कहा है कि उसने अभियुक्तगणों**

को गोली मारते देखा था ऐसे में यह पी०डब्ल्यू०–1 के द्वारा किया गया मैटेरियल इम्पुवमेंट है जोकि अभियोजन कथानक के मूल तक को आहत करता है अतएव यह पी०डब्ल्यू०–1 अविश्वसनीय साक्षी है। न्यायालय ने इस संबंध में विचार किया है, उल्लेखनीय रूप से इस गवाह से जब यह कंफ्रन्ट कराया गया तब उसने बताया कि उसने जो बताया था उसे पुलिस ने नहीं लिखा और यदि पुलिस ने नहीं लिखा तो उसका कारण वह नहीं बता सकता। अग्रेतर पी०डब्ल्यू०–1 घटनास्थल पर घटना घटित होने के समय था यह मामले के तहरीर से भी संपुष्ट होता है साथ ही इस संबंध में इस पी०डब्ल्यू०–1 की प्रतिपरीक्षा में भी यह स्वीकृत रूप से आया है कि वह कथित घटना दिनांक और समय पर घटनास्थल पर मौजूद था इतना ही नहीं इस मामले के मृतक के शव पर जो उसकी पोस्टमार्टम में चोट आयी है वैसा ही बयान उक्त पी०डब्ल्यू०–1 ने दिया था तथा स्वीकृत रूप से तब जबकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम 02.12.2012 को हुआ था और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पी०डब्ल्यू० 7 के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु 01.12.2012 के प्रातः 4 बजे के आसपास हुआ होगा यह भी इस बात को कोरोवोरेट करता है कि जो कुछ भी यह पी०डब्ल्यू०–1 घटना के बारे में बता रहा है उसमें कोई भिन्नता या अतिशयोक्ति नहीं है और इस तथ्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि इस मामले के अभियुक्तगण और अभियोजन के सभी तथ्य के गवाह ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और ऐसे में उनसे इस बात की अपेक्षा करना कि वे बहुत संतुलित रूप से और नाप जोखकर गवाही देंगे यह उचित अवधारणा नहीं कही जा सकती। अतएव यह न्यायालय उक्त कथित इम्प्रुवमेंट को मैटेरियल इम्प्रुवमेंट की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित नहीं समझती है। तद्नुसार बचाव पक्ष के उक्त तर्क को यह न्यायालय बलहीन पाती है। उल्लेखनीय रूप से यदि यह न्यायालय इस संदर्भ में स्वतंत्र रूप से विचार करे कि मान लेते हैं दो व्यक्ति एक ही स्थान पर सोये है और एक व्यक्ति की नींद तभी खुलती है जब दूसरे व्यक्ति को कोई गोली मार देता है ऐसे में स्पष्ट रूप से तीन स्टेज परिलक्षित होंगे पहला एकदम से गोली मारना दूसरा गोली मार के अपने सहभागियों को सजग करना और तीसरे वहां से भागना अब ऐसे में इन तीनों स्टेज में दूसरा व्यक्ति जो नींद में था कब और कैसे देखता है यह एक अति सूक्ष्म विषय है और जहां तक इस वर्तमान मामले का प्रश्न है यदि गवाह पी०डब्ल्यू०–1 के मृतक के साथ सोया होना साबित है तब ऐसे में यदि पी०डब्ल्यू०–1 यह कहता है कि उसने गोली मारते देखा था या भागते देखा था उक्त पर संदेह करने का कोई

**वजह नहीं है। यहां तक कि इस पी०डब्ल्यू०-1 ने अपने छोटे भाई का भी नाम लिया है और यह तथ्य इस पी०डब्ल्यू०-1 की विश्वसनीयता में और भी इजाफा करता है।**

**9.16.2** स्वीकृत रूप से इस वर्तमान मामले में कथित घटना और प्राथमिकी के पंजीकृत होने में चार घण्टे का अन्तराल है स्पष्ट रूप से यह सम्पूर्ण कथानक ग्रामीण पृष्ठभूमि का है और ऐसे में यदि प्राथमिकी पंजीकृत करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसे इसी दृष्टिकोण से विचारगत किया जाना आवश्यक है। मुख्य्य रूप से इस वर्तमान मामले की लिखित तहरीर में जो तथ्य उल्लिखित किये गये हैं वे हस्तलिखित है और उन तथ्यों का कलेवर ऐसा नहीं है जिससे यह अवधारणा की जाये कि बहुत ही सोच विचार कर उक्त तहरीर को लिखा गया हो। **उल्लेखनीय रूप से एक सर्वप्रमुख तथ्य इस तहरीर से जुड़ा है कि यदि बहुत डेलीवेरेशन के साथ उक्त तहरीर को लिखा गया होता तब उसमें ऐसा नहीं लिखा गया होता कि अभियुक्तगणों को भागते हुए देखा गया इसके उलट उसमें यह लिखा गया होता कि अभियुक्तगणों को गोली मारते हुए देखा गया।** अतएव यह न्यायालय भले ही अभियोजन की ओर से स्पष्टीकरण उक्त विलम्ब का नहीं बताया गया है तथापि उक्त विलम्ब से कोई अनियमिता का बोध हो रहा हो ऐसा निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। तद्नुसार यह न्यायालय इस बिन्दू के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा उठाये गये तर्क को निस्तारित करती है।

**9.17** उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0-1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि यह कहना गलत है कि घोठे पर वह नहीं सोया था सिर्फ पिता जी ही सोये थे। साथ ही साथ इस **पी0डब्ल्यू0-1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि यह भी कहना गलत है कि उसने अपने पिता को अभियुक्तों द्वारा मारते नहीं देखा, अर्थात् इस **पी0डब्ल्यू0-1** की प्रतिपरीक्षा में आये तथ्य से स्पष्ट होता है कि यह **पी0डब्ल्यू0-1** अपनी मुख्य्य परीक्षा में आई बातों पर अपनी प्रतिपरीक्षा में अडिग रहा है जिससे उसकी विश्वसनीयता इंटैक्ट रही है। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0-1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि गोली लगाने की आवाज सुनकर उसने तुरंत टार्च जलाया था। उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में यह तर्क रखा गया कि संबंधित पुलिस द्वारा कोई भी टार्च आदि विवेचना के दौरान बरामद नहीं की गई और

न ही उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने टार्च की बात अपनी प्रतिपरीक्षा में दोहराया है जिससे उसकी विश्वसनीयता और भी स्पष्ट होती है। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि प्रेम राय और राजकुमार राय सगे भाई है और सिद्धार्थ राय रिश्ते में भतीजे लगते हैं। प्रेम राय डाक विभाग में कर्मचारी है, सिद्धार्थ राय के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके छप्पर के अन्दर सभी मुल्जिमान नहीं घुसे थे। प्रेम राय, राजकुमार राय अन्दर घुसे थे। ये सभी मुल्जिमान दरवाजे पर थे, चार्जर वाला बल्व छप्पर के अन्दर जल रहा था। दरवाजे की चौड़ाई 6 फीट थी, उसमें दरवाजा नहीं लगा था। घुसते ही सबसे पहले उसके पिता जी सोये थे, उसके पूर्व आगे वह सोया था। सभी मुल्जिमान ने बाहर से ललकारा बाहर के सभी मुल्जिमान लाठी डण्डा से लैस थे। लाठी डण्डा वाले मुल्जिमानों में से किसी मुल्जिमान ने चिल्लाने पर कोई मुल्जिमान उसके ऊपर प्रहार नहीं किया था। वह अपने छप्पर वाले मकान से मुल्जिमानों को 5–6 कदम दौड़ाया। दौड़ाने पर कोई भी मुल्जिम उसके ऊपर प्रहार नहीं किया था। इस प्रकार से इस **पी0डब्ल्यू0–1** की प्रतिपरीक्षा में आये संदर्भ से इस बात को पुनः बल मिलता है कि घटना की रात्रि को यह **पी0डब्ल्यू0–1** अपने पिता के साथ सोया था। इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अभियुक्तगण प्रेम राय और राजकुमार के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य दिया है साथ ही अन्य अभियुक्तगणों के बारे में साक्ष्य दिया है। इस प्रकार से इस **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब ने अपनी साक्ष्य में अखण्डित रूप से यह साक्ष्य दिया है कि उसने घटना समय पर अभियुक्तगणों को उसके पिता मृतक जगदीश को गोली मारते देखा था और यह न्यायालय पाती है कि इस **पी0डब्ल्यू0–1** के साक्ष्य में थोड़ा बहुत विसंगति के रहते हुए भी बचाव पक्ष इस **पी0डब्ल्यू0–1** की विश्वसनीयता को आहत करने में विफल रहा है।

**9.18** उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** की प्रतिपरीक्षा में यह संदर्भ आया है कि उसमें वह कहता है कि उसने एक शपथ–पत्र न्यायालय में दिया था जो पत्रावली पर दाखिल है जो **प्रदर्श क–4** है। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर कहा है कि उक्त शपथ–पत्र में यह बात लिखा है कि शक के आधार पर मेरे भाई ने अन्य का नाम लिखा दिया जो इस घटना में शामिल नहीं थे। इस संदर्भ में यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस **पी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि पुलिस ने उक्त शपथ–पत्र जबरिया तैयार

कराया था उसने यह देखा है कैसे लिख दिया वह कारण नहीं बता सकता। इस संदर्भ में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क रखा है कि जब इस गवाह एक शपथ–पत्र पुलिस को दिया था जिसमें जब लिखा है कि शक के आधार पर उसके भाई ने अन्य का नाम लिखा दिया जो इस घटना में शामिल नहीं थे इससे यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं कि यह गवाह **पी0डब्ल्यू0–1** न्यायालय के समक्ष सत्य कथन नहीं कर रहा है और उसकी विश्वसनीयता पूर्ण रूप से संदिग्ध है और तब जबकि इस अभियोजन का सम्पूर्ण गवाह इस एकमात्र गवाह **पी0डब्ल्यू0–1** के साक्ष्य पर आश्रित है स्वयमेव ढेर हो जाता है। न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के साथ–साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 व 162 में निहित सिद्धांतों के दृष्टिगत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विवेचना के दौरान इस प्रकार से पुलिस द्वारा तैयार किये गये शपथ–पत्र का कोई एवीडेंसरी वेल्यू नहीं है क्योंकि इन शपथ–पत्रों में लिखे तथ्यों को मान भी लिया जाये तब भी वे विवेचना के दौरान पुलिस के हस्तक्षेप से उद्भूत हुए होते है ऐसे में ये साक्ष्य के संदर्भ में इनका वेल्यू शून्य होता है और इस प्रकार से यह न्यायालय इस साक्षी के द्वारा विवेचना के दौरान कथित शपथ–पत्र के संदर्भ में बचाव पक्ष के द्वारा उठाये गये तर्कों का निस्तारण बचाव पक्ष के सापेक्ष ऋणात्मक रूप से करती है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब प्रसाद गौड़ जिसे अभियोजन द्वारा एक चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एवं परीक्षित किया गया है कि विश्वसनीयता पर बचाव पक्ष प्रश्न चिन्ह लगाने में असमर्थ रहा है, दूसरे शब्दों में इस **पी0डब्ल्यू0–1** के साक्ष्य ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

**9.19 पी0डब्ल्यू0–2** उर्मिला देवी इस मामले के मृतक की पुत्रवधू है, उसकी मुख्य परीक्षा में आये तथ्य से यह स्पष्ट है कि उसने इस मामले की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं तथापि इस **पी0डब्ल्यू0–2** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिये गये साक्ष्य से कि उसके ससुर जगदीश गाँव के बाहर घोठा पर सोते थे उनके साथ घोठा पर उसके ससुर (पति के बड़े भाई) उसके भसुर गुलाब भी सोते थे। घटना वाली रात भी उसके भसुर गुलाब गौड़ घोठा पर अपने पिता के साथ सोये थे। इस प्रकार इस **पी0डब्ल्यू0–2** ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया है कि **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब गौड़ घटना की रात को मृतक जगदीश के साथ घोठे पर सोये थे। उल्लेखनीय रूप से इस

**पी0डब्ल्यू0–2** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य भी दिया है कि हाजिर अदालत मुल्जिम ओंकार गौड़ रिश्ते में उसके देवर लगते है ओंकार गौड़ और मृतक जगदीश गौड़ के बीच में जमीन के नाते घटना के समय मन मुटाव था।

**9.20** उल्लेखनीय रूप से अभियुक्त नवीन राय की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस **पी0डब्ल्यू0–2** ने इस बात को दोहराया है कि उस दिन घोठे पर उसके भसुर गुलाब सोये थे। इस प्रकार से उक्त **पी0डब्ल्यू0–2** के द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में दिये गये साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि घटना की रात गुलाब प्रसाद गौड़ जोकि इस मामले में **पी0डब्ल्यू0–1** के रूप में परीक्षित हुए हैं मृतक के साथ ही सोये थे।

**9.21** उल्लेखनीय रूप से बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क न्यायालय के समक्ष रखा गया कि घटना के 20–25 दिन बाद दरोगा जी ने इस **पी0डब्ल्यू0–2** का बयान लिया था जिससे यह प्रतीत होता है इस गवाह ने जो कुछ तथ्य अपने साक्ष्य में कहा है वह बढ़ा चढ़ा कर कहा है। इस न्यायालय ने इस तर्क पर विचार किया है। यदि यह मान भी लिया जाये कि संबंधित पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना के 20–25 दिन के बाद इस **पी0डब्ल्यू0–2** का बयान लिया गया था, मात्र इस आधार पर इस **पी0डब्ल्यू0–2** के द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता।

**9.22 पी0डब्ल्यू0–3** फूल कुमार भी इस मामले के मृतक जगदीश की पुत्रवधू है तथा वह **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब गौड़ की पत्नी है। इस फूल कुमारी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से यह कहा है कि घटना के दिन उसके ससुर स्वर्गीय जगदीश और उसके पति गुलाब गौड़ गाँव के बाहर अपने घोठे पर मड़ई में सोये हुए थे। इस **पी0डब्ल्यू0–3** के इस साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब गौड़ घटना की रात्रि को मृतक के साथ ही सोये थे। उल्लेखनीय रूप से इस फूल कुमारी की प्रतिपरीक्षा बचाव पक्ष द्वारा विस्तार से की गई है किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष ऐसा कोई भी तथ्य को लाने में सफल नहीं रहा है जोकि इस तथ्य को असत्य ठहराने हेतु समक्ष हो कि घटना की रात को इस **पी0डब्ल्यू0–3** के पति गुलाब इस

मामले के मृतक जगदीश के साथ सोये नहीं हों। इस प्रकार से उक्त **पी0डब्ल्यू0–2** और **पी0डब्ल्यू0–3** के द्वारा न्यायालय में दिये साक्ष्य से यह स्वीकृत रूप से निकलकर सामने आता है कि इन दोनों गवाहों ने घटना घटित होते नहीं देखा था तथापि इनके साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से यह तथ्य संपुष्ट हुआ है कि घटना की रात्रि को गुलाब गौड़ इस मामले के मृतक के साथ सोया था।

**9.23 पी0डब्ल्यू0–4** चन्द्रमोली इस मामले के मृतक का पुत्र है। उसकी मुख्य परीक्षा में आयी बातों में अन्य बातों के अलावा यह तथ्य आया है कि अभियुक्त ओंकार गौड़ और उसकी पत्नी मृतक के साथ इस बात का झगड़ा करते थे कि अपने खाते का पैसा उनको दे दो और जमीन उनके नाम लिख दो। इस **पी0डब्ल्यू0–4** के द्वारा दिया गया यह साक्ष्य इस बात को पुष्ट करता है कि इस मामले का एक अभियुक्त ओंकार गौड़ जोकि इस **पी0डब्ल्यू0–4** का भाई है कि पिता यानी मृतक के साथ अनबन थी। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–4** की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई विशेष तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है जिसका कि विश्लेषण किया जाना आवश्यक हो।

**9.24** उल्लेखनीय रूप से **पी0डब्ल्यू0–5** सुनील कुमार गौड़ जोकि इस मामले के मुख्य गवाह गुलाब प्रसाद गौड़ के पुत्र है ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उसके पापा यानी गुलाब गौड़ ने उसे घटना के संबंध में बताया था, उसने कुछ नहीं देखा था अर्थात् यह **पी0डब्ल्यू0–5** सुनी सुनाई बातों के आधार पर साक्ष्य दिया है अतएव इसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक को भी समर्थन नहीं मिलता है। हालांकि इस **पी0डब्ल्यू0–5** ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि उसके चाचा ओंकार गौड़ उसके बाबा यानी मृतक से झगड़ा करते थे। बैंक में जमा पैसे के लिए झगड़ा करते थे और कहते थे यही मुझे चाहिए और खेत मुझे चाहिए। इस प्रकार से इस **पी0डब्ल्यू0–5** ने भी इस बात के संबंध में साक्ष्य दिया है कि इस मामले के एक अभियुक्त ओंकार गौड़ की अपने पिता मृतक जगदीश के साथ अनबन थी।

**9.25 पी0डब्ल्यू0–6** अजय कुमार ओझा निरीक्षक इस मामले के प्रथम विवेचक है उनके मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से अन्य बातों के अलावा यह तथ्य आया है कि उनके द्वारा विवेचना के दौरान मौके से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी बरामद की गई थी और उनका फर्द बनाया गया था

साथ ही मौके से एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद बुलेट पीतल का फायरशुदा मौके से बरामद किया गया और इसके संबंध में फर्द बरामदगी तैयार की गई थी। उक्त **पी0डब्ल्यू0–6** के द्वारा घटनास्थल की नक्शा नजरी को साबित किया गया है। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–6** ने न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि नक्शा नजरी में गवाह गुलाब G स्थान पर सोना बताया था जो एक कमरा है, C स्थान जहां मृतक था वहां पर किसी अन्य व्यक्ति के सोने का साक्ष्य नहीं मिला था मसलन कोई दूसरी चारपाई नहीं मिली थी का उल्लेख करते हुए बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क रखा गया कि इस गवाह के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि गुलाब गौड़ **पी0डब्ल्यू0–1** घटना की रात मृतक के साथ नहीं सोया था। इस संदर्भ में न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को विचारगत रखते हुए यह पाया है कि उक्त नक्शा नजरी में कमरा और स्थान की लम्बाई चौड़ाई आदि नहीं बताई गई है साथ ही जो नक्शा दिखाया जा रहा है वह इस मामले के वादी चन्द्रजीत गौड़ के बताये अनुसार पुलिस द्वारा बनाया गया था और वह वादी चन्द्रजीत गौड़ की मृत्यु हो जाने की वजह से न्यायालय में उसकी गवाही नहीं हो पायी है वैसे भी नक्शा नजरी सब्सटेंस एवीडेंस की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह एक तरीके से धारा 161 द0प्र0सं0 के तहत की गई कार्यवाही का ही एक रूप है, वैसे में इसे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता खासकर तब जबकि इस मामले के गवाह **पी0डब्ल्यू0–1** गुलाब गौड़ ने न्यायालय के समक्ष अखण्डित रूप से इस संबंध में साक्ष्य दिया है कि वह घटना की रात मृतक के साथ सोया था अतएव यह न्यायालय तद्नुसार बचाव पक्ष के उक्त तर्क को बलहीन अवधारित करती है। हालांकि उक्त **पी0डब्ल्यू0–6** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उसके द्वारा यह विवेचना नहीं किया गया है कि वादी मुकदमा घटना की रात मृतक के साथ था अथवा नहीं।

**9.25 पी0डब्ल्यू0–7** डॉक्टर दिनेश सिंह ने इस मामले के मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि पोस्टमार्टम के वक्त मृतक के शरीर का अकड़न समाप्त हो गया था। मृतक के शरीर पर दो चोटें थी, एक चोट फायर आर्म्स इंजरी की थी जो दाहिने सीने पर निप्पल से 5 सेमी0 ऊपर था जिसकी साईज 1 cm X 1 cm अन्दर की तरफ थी, उसके चारो तरफ कालापन था जो सीने के नीचे चोट वाले भाग को खोलकर देखने पर दाहिना फेफड़ा और 5 सेमी0 झिल्ली फटी हुयी थी और उसमें लगभग 2 लीटर जमा हुआ खून

था। गन शार्ट की चोट दाहिने तरफ पीठ की तरफ एक्जिट बुन्ड बनाते हुए निकल गयी थी। एक्जिट बुन्ड की साईज 1.5 cm X 1.5 cm तथा इसकी मार्जिन बाहर की तरफ मुड़ी हुयी थी। इस प्रकार से उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस मामले के मृतक को फायर आर्म्स इंजरी थी तथा जो गन शट इंजरी उसके शरीर पर थी उसका एक्जिट बुन्ड भी था। उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–7** ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के एक या दो दिन के बीच में हुई होगी। मृत्य का कारण हेमरेजिक शाक एन्टीमार्टम इंजरी जो फायर आर्म्स इंजरी से आयी थी। उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–7** ने यह साक्ष्य दिया है कि उसने दिनांक 02.12.2012 को 4 बजकर 5 मिनट पी.एम. पर पोस्टमार्टम किया गया था।

**9.26** उल्लेखनीय रूप से इस न्यायालय द्वारा उक्त **पी0डब्ल्यू0–7** के प्रतिपरीक्षा में आये तथ्यों का विचारण किया गया है किन्तु उसमें ऐसा कोई भी तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है जोकि अभियोजन कथानक के विरूद्ध जाता हो और उक्त **पी0डब्ल्यू0–7** के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह तथ्य निकलकर सामने आता है कि इस मामले के मृतक की मृत्यु फायर आर्म्स इंजरी से हुई थी।

**9.27 पी0डब्ल्यू0–8** एस.आई. बादशाह सिंह ने इस मामले की प्राथमिकी और संबद्ध कायमी जी0डी0 को न्यायालय के समक्ष साबित किया है। **पी0डब्ल्यू0–9** निरीक्षक विजय नरायन प्रसाद इस मामले के द्वितीय विवेचक है। इस **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस मामले के विभिन्न गवाहों का बयान लिये जाने का उल्लेख अपनी मुख्य परीक्षा में किया गया है। **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी मुख्य परीक्षा में वादी और गुलाब गौड़ के द्वारा विवेचना के दौरान दिये शपथ–पत्र का भी उल्लेख किया है जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विश्लेषण किया जा चुका है। उल्लेखनीय रूप से **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 11.01.2013 को अभियुक्त ओंकार की गिरफ्तार व उसके बयान का अंकन तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी कट्टा .32 बोर बरामद तथा नक्शा नजरी बरामदगी स्थल तैयार किया गया। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ओंकार गौड़ की निशानदेही पर बरामदशुदा आलाकत्ल की फर्द उसके द्वारा घटनास्थल पर ही लिखी गई जो पत्रावली उपलब्ध कागज सं0 17क है जिसपर प्रदर्श

क–10 डाला गया है। उक्त **पी0डब्ल्यू0–9** के द्वारा बरामदशुदा आलाकत्ल की बरामदगी स्थल के नक्शा नजरी को साबित किया गया है। उक्त **पी0डब्ल्यू0–9** ने उक्त के संबंध में फर्द के गवाहों का बयान अंकित किया जाना भी बताया है। उक्त **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य भी दिया है कि दिनांक 15.02.2013 को उनके द्वारा अभियोजन की स्वीकृति आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त **पी0डब्ल्यू0–9** ने अभियुक्त ओंकार गौड़ से बरामद कट्टा के संबंध में अभियोजन स्वीकृति को न्यायालय के समक्ष साबित किया है जो **प्रदर्श क–17** है। उक्त **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि निरीक्षण घटनास्थल, बयान वादी व गवाहान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामद माल व आलाकत्ल व अन्य साक्ष्य से अभियुक्तगण प्रेम राय, राजकुमार राय पुत्रगण सदानन्द राय, नवीन राय उर्फ मोनू राय पुत्र सर्वजीत राय, सिद्धार्थ उर्फ छोटू राय पुत्र शिवकुमार राय एवं ओंकार गौड़ पुत्र स्वर्गीय जगदीश राय के विरूद्ध संबंधित अपराध जोकि अन्तर्गत धारा 147,148,149,302 भा0द0सं0 है तथा अभियुक्त ओंकार गौड़ पुत्र स्वर्गीय जगदीश गौड़ के विरूद्ध उक्त धारा के साथ–साथ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध बखूबी साबित पाते हुए सभी अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप–पत्र दिनांक 22.02.2013 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय रूप से उक्त **पी0डब्ल्यू0–9** से अभियुक्त ओंकार गौड़ की तरफ से कथित रूप से बरामदगी देशी कट्टा के संबंध में विभिन्न प्रश्न पूछे गये हैं।

**9.28** उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–9** की अभियुक्त ओंकार गौड़ की तरफ से की गई प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि जब उनके द्वारा इस मुल्जिम को विवेचना की गई तब तहरीर का अवलोकन किया गया था तहरीर में किसी विशेष का नाम गोली मारने वालों में नहीं लिखा गया बल्कि लोग आकर गोली मार दिये, लिखा गया था। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि चक्षुदर्शी साक्षी गुलाब ने सभी अभियुक्तगण को एक साथ गोली की आवाज को सुनने के बाद टार्च की रोशनी में घटनास्थल पर से भागते हुए देखा था। गुलाब ने भी गोली मारते हुए किसी विशेष व्यक्ति को देखने की बात नहीं बताई। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर यह कहा है कि वादी ने घटना वाली रात को अपने सगे भाई गुलाब को घटनास्थल पर सोना बताया था जिसने घटना के पश्चात् मुल्जिमान को स्वयं

टार्च की रोशनी में देखा था। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि गुलाब प्रसाद गौड़ ने मुल्जिमानों को घटनास्थल पर कितनी दूरी पर देखा था जिक्र नहीं किया था किन्तु टार्च की रोशनी में देखा था। उल्लेखनीय रूप से इस **पी0डब्ल्यू0–9** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि भागते समय उसने अपने भाई ओंकार को भी मुल्जिमानों के साथ भागते हुए देखा था। उल्लेखनीय रूप से **पी0डब्ल्यू0–10** निरीक्षक सुरेश कुमार यादव ने पंचनामा जिसपर **प्रदर्श क–2** डाला जा चुका है के साथ साथ विभिन्न पुलिस प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष साबित किया है।

**9.29** उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में अभियुक्त ओंकार गौड़ की ओर से अखिलेश प्रताप चौहान **डी0डब्ल्यू0–1** के रूप में परीक्षित हुए है। उल्लेखनीय रूप से **डी0डब्ल्यू0–1** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई बातों से स्पष्ट रूप से कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि उसकी प्रतिपरीक्षा में आये तथ्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह **डी0डब्ल्यू0–2** चूंकि अभियुक्त ओंकार गौड़ का ग्रामीण है वह चाहता है कि ओंकार इस मुकदमे से बरी हो जाये साथ ही इस **डी0डब्ल्यू0–1** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह इस मुकदमे में गवाही करने ओंकार के कहने पर ही आया है। इस प्रकार से इस **डी0डब्ल्यू0–1** के साक्ष्य से अभियुक्त ओंकार गौड़ को कोई सहायता नहीं मिलता है। उल्लेखनीय रूप से अभियुक्त ओंकार गौड़ न्यायालय के समक्ष स्वयं **डी0डब्ल्यू0–2** के रूप में परीक्षित हुआ है उसने मुख्य रूप से अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि उसकी शादी के 3–4 साल बाद उसके भाई गुलाब, चन्द्रमोली, चन्द्रजीत ने मिलकर उसे घर से निकाल दिये तभी से वह पत्नी के साथ ग्राम नथुआ में रहने लगा। उसके सारे लड़के नथुआ में ही पैदा हुई है और वह वहीं रहकर पढ़ते हैं। उसके ससुर का नाम चन्द्रमणि गौड़ है वे 10 कमरे का मकान बनाये थे उसी में से एक कमरा उसे रहने के लिए दिये थे। उल्लेखनीय रूप से इस **डी0डब्ल्यू0–2** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि घटना दिनांक 01.12.2012 को कथित घटना के समय वह अपने घर ग्राम नथुआ, थाना पिपराईच में था। उक्त से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह **डी0डब्ल्यू0–2** अभियुक्त ओंकार गौड़ ने यह प्ली लिया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था वह कहीं और था। उल्लेखनीय रूप से यह ग्राम नथुआ थाना पिपराईच में पड़ता है जबकि यह घटना थाना झगहां गोरखपुर में अवस्थित गाँव का है। **इस**

**न्यायालय द्वारा इंटरनेट पर गुगल सर्च से जब यह पता किया गया तब गोरखपुर के पिपराईच थाना और झगहां थाना के बीच की सड़क मार्ग की दूरी लगभग 21.8 किलोमीटर और वहां पहुँचने में करीब 39 मिनट लगते हैं।** उल्लेखनीय रूप से इस **डी0डब्ल्यू0–2** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि इस घटना के समय पूरी सम्पत्ति मृतक जगदीश के पास ही थी और वह उसके बड़े भाई गुलाब के ही साथ रहते थे। इस प्रकार से अभियुक्त ओंकार गौड़ ने प्रथमतः अली बाई का प्ली लिया है तब उसने इस बात की ताकीद अपनी प्रतिपरीक्षा में की है कि उसका बड़ा भाई गुलाब उसके मृतक पिता जगदीश के साथ रहता था। उल्लेखनीय रूप से उक्त **डी0डब्ल्यू0–1** अखिलेश प्रताप चौहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा था कि अभियुक्त ओंकार की पत्नी शादी के 4–5 साल के बाद अपने मायके नथुआ रहने चली आयी थी और अपने पति यानी अभियुक्त ओंकार गौड़ के साथ रहने लगी। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त ओंकार गौड़ अपनी पत्नी के साथ नथुआ में रह रहा था तब भी सिर्फ इस आधार पर यह नहीं अवधारित किया जा सकता कि घटना के दिनांक को अभियुक्त ओंकार घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। इस संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया हो, धारा–103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निहित सिद्धान्त के तहत यदि कोई अभियुक्त अली बाई का प्ली लेता हो तब न्यायालय यह प्रजुम करेगी कि अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित था बशर्ते वह ठोस साक्ष्यों से उक्त प्रिजम्पशन को खण्डित करने में सफल हो जाये। जहां तक इस वर्तमान मामले का प्रश्न है अभियुक्त ओंकार गौड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से यह तो दर्शित हो रहा है कि वह नथुआ में निवास करता है किन्तु इससे यह नहीं साबित हो रहा है कि कथित घटना के दिनांक को वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था साथ ही इस वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित हुए साक्षीगणों खासकर **पी0डब्ल्य0–1** गुलाब गौड़, **पी0डब्ल्य0–2** उर्मिला देवी, **पी0डब्ल्य0–3** फूल कुमार, **पी0डब्ल्य0–4** चन्द्रमोली और **पी0डब्ल्य0–5** सुनील कुमार गौड़ के द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त ओंकार गौड़ की अपने पिता के साथ विभिन्न वजहों से अनबन थी। ऐसे में अभियुक्त ओंकार गौड़ के सापेक्ष अपने पिता की हत्या करने के अपराध का मोटिव आशय भी था और यह परिस्थिति भी अभियुक्त ओंकार गौड़ के प्रतिकूल जा रही है जोकि इस मामले के चक्षुदर्शी साक्षी गुलाब गौड़ के द्वारा दिये गये साक्ष्य जिसमें इस मामले

के अभियुक्तगणों को अपराध कारित करना बताया गया है में अभियुक्त ओंकार गौड़ का शामिल होना संपुष्ट कर रहा है।

**9.30** उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले से संबंधित एक अन्य अभियुक्त सिद्धार्थ राय बाल अपचारी घोषित होने की वजह से उसका मामला पृथक कर दिया गया था किन्तु इस मामले की पृष्ठभूमि का संघटन जिन पाँच व्यक्तियों से मिलकर हो रहा जिनसे अनलॉ फूल असेम्बली का होना इस मामले की पृष्ठभूमि है के संबंध में इस मामले में विचार न किये जाने के बावजूद अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य और परिस्थितियों से जिसमें उक्त बाल अपचारी का कृत्य भले ही विचारित न किया गया हो अकाष्ठ्य रूप से आबद्ध है अतएव यह न्यायालय यह अवधारित करती है कि इस मामले के अभियुक्तगणों के सापेक्ष अपराध अन्तर्गत धारा 149 भा०द०सं० का सृजन करने में अभियोजन पूर्ण रूप से सफल रहा है।

**9.31** इस प्रकार से इस वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के सम्यक मूल्यांकन और विश्लेषण से तथा बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के मूल्यांकन से तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों के द्वारा रखे गये तर्कों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये अनेकशः आदरणीय न्याय दृष्टांतों को गहनता से विचारित एवं अध्ययन करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन ने अपने कथानक को जिसके तहत इस मामले के अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा-147,148,302/149 भा०द०सं० विरचित किये गये थे को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। फलस्वरूप इस मामले के सभी अभियुक्तगण उक्त आरोपों के हेतु दोषसिद्ध और तद्नुसार दोषी ठहराये जाते हैं।

**9.32** उल्लेखनीय रूप से इस वर्तमान मामले में पृथक से अपराध अन्तर्गत धारा-3/25 का विचारण नहीं हुआ है तथापि इस वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत एवं परीक्षित गवाह **पी०डब्ल्यू०-9** विजय नरायन प्रसाद के साक्ष्य से अभियोजन ने आरोप अपराध अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम जोकि अभियुक्त ओंकार गौड़ के विरूद्ध विरचित हुआ

था को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। फलस्वरूप **अभियुक्त ओंकार गौड़** को आरोप अपराध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम हेतु दोषसिद्ध और तद्नुसार दोषी ठहराया जाता है।

**10.** तद्नुसार इस वर्तमान मामले के सभी विनिश्चयन बिन्दू जो कि इस निर्णय के **प्रस्तर संख्या–7** में अंकित है निर्णीत किया जाता है।

**11.** पत्रावली आज ही दिनांक 29.07.2026 को पुनः भोजनावकाश बाद 02:00 बजे सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु नियत की जाती है।

**दिनांक– 29.07.2026**

**(नितिन कुमार ठाकुर)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

**पुनः भोजनावकाश पश्चात् 02:00 बजे**

1. सभी दोषसिद्धगण **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़** एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रिमिनल) को दोषसिद्धगण को दिये जाने वाले दण्ड के प्रश्न पर बारी– बारी से सुना गया।

**2.** दोषसिद्धगण ने अश्रूपूरित नेत्रों से अपनी गलती को स्वीकारते हुए न्यायालय से उन्हें कम–से–कम सजा दिये जाने की याचना की गयी। दोषसिद्ध ओंकार गौड़ को छोड़ अन्य दोषसिद्धगण के द्वारा यह बताया गया कि उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है वे अपनी वृद्धा अवस्था की ओर अग्रसर है साथ ही उनका पूरा परिवार उनपर ही आश्रित है अतएव यदि उन्हें लम्बे समय तक जेल की सजा दी गयी तब उनके परिवार की दशा दयनीय हो जायेगी। अतः उन्हें कम–से–कम कारावास की सजा दी जाये ताकि वे स्वयं में सुधार करते हुए समाज और देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। दोषसिद्धगण के द्वारा किये गये अभिकथन में अग्रेतर जोड़ते हुए उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया कि दोषसिद्धगण का कोई आपराधिक पृष्टभूमि नहीं है। अतएव इस तथ्य को भी दोषसिद्धगण को सजा पर विचार करते वक्त दृष्टिगत रखा जाना न्याय की माँग है अस्तु उन्हें कम–से–कम सजा दिया जाये।

**3.** उक्त के विपरीत विद्वान विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रिमिनल) ने दोषसिद्धगण को अधिकतम प्रावधानित सजा दिये जाने का आग्रह किया और इस संदर्भ में उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया कि दोषसिद्धगण के द्वारा सोये हुए एक 70 वर्षीय वृद्ध एवं निर अपराध की हत्या की गई है अतएव जिस निर्ममता से उनके द्वारा इस मामले के मृतक की हत्या की गई है उनके द्वारा कारित अपराध को न केवल गम्भीर अपराध की श्रेणी में लाता है अपितु उनके द्वारा कारित अपराध विरलतम से विरल अपराध की श्रेणी में भी आता है अतएव दोषसिद्धगण को अधिकतम प्रावधानित सजा मृत्युदण्ड की सजा दी जाये ताकि उन्हें दिया गया दण्ड न केवल उनके द्वारा कारित अपराध के सापेक्ष हो वरन वह वर्तमान समाज के समक्ष एक **प्रतिरोधक** एवं प्रतिमान के रूप में उपस्थित हो।

**4.** दोषसिद्धगण, उनके विद्वान अधिवक्तागण तथा अभियोजन को दोषसिद्धगण को दिये जाने वाले दण्ड पर रखे गये उनके अभिकथनों को दृष्टिगत किया गया साथ ही पत्रावली पर उपस्थित तथ्य और साक्ष्य को पुनः गहनता से उक्त दोषसिद्धगण के संदर्भ में सजा के निर्धारण हेतु विचारगत किया गया। **बचन सिंह**[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के द्वारा स्थापित सिद्धांत के दृष्टिगत इस वर्तमान मामले की तथ्य और परिस्थितियाँ दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध को विरलतम से विरल अपराध की श्रेणी में रखे जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। फलस्वरूप यह न्यायालय दोषसिद्धगण को मृत्युदण्ड की सजा के दिये जाने के विचारण हेतु तत्पर नहीं है। अतएव यह न्यायालय इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को समग्रता से दृष्टिगत रखते हुए यह पाती है कि इस मामले में यह न्यायालय इस मामले के प्रत्येक दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा–**147 भा०द०सं०** कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष** के सश्रम कारावास तथा **500/– (पाँच सौ) रूपये** अर्थदण्ड की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को **01 महीने** की अग्रेतर सामान्य कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। प्रत्येक दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा–**148 भा०द०सं०** कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष** के सश्रम कारावास तथा **500/– (पाँच सौ) रूपये** अर्थदण्ड की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को **01 महीने** की अग्रेतर सामान्य कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। प्रत्येक दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा **302 सपठित धारा–149 भा0द0सं0** का अपराध कारित करने हेतु **आजीवन कारावास** की सजा और **5,000/– (पाँच हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्ध को अग्रेतर **06 (छः) महीने** सश्रम कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। दोषसिद्ध ओंकार गौड़ को अपराध अन्तर्गत धारा– **3/25 आयुध अधिनियम** का अपराध कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष** की सजा और **1,000/– (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड** की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा उक्त अर्थदण्ड न जमा किये जाने की स्थिति में दोषसिद्ध को अग्रेतर **02 (दो) महीने** सामान्य कारावास की सजा दिया जाना

---

1 एआईआर 1980 एससी 898

न्यायोचित समझती है। सहूलियत की दृष्टि से इस वर्तमान मामले के दोषसिद्धगणों को दी जाने वाली सजा के संबंध में तथ्य निम्नांकित तालिका द्वारा उल्लिखित किया जाना यह न्यायालय समीचीन समझती है–

**A. दोषसिद्धगण 1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़ के संबंध में–**

| अपराध की धारा | दी जाने वाली सजा | अधिरोपित किया जाना वाले अर्थदण्ड | अर्थदण्ड न जमा किये जाने की दशा में भुगते जाने वाली सजा |
|---|---|---|---|
| 147 भा0द0सं0 | 02 (दो) वर्ष | 500 (पाँच सौ) रूपये | 01 महीना सामान्य कारावास |
| 148 भा0द0सं0 | 02 (दो) वर्ष | 500 (पाँच सौ) रूपये | 01 महीना सामान्य कारावास |
| 302 सपठित 149 भा0द0सं0 | आजीवन कारावास | 5,000 (पाँच हजार) रूपये | 06 महीना सश्रम कारावास |

**B. विशिष्ट रूप से दोषसिद्ध ओंकार गौड़ के संबंध में–**

| अपराध की धारा | दी जाने वाली सजा | अधिरोपित किया जाना वाले अर्थदण्ड | अर्थदण्ड न जमा किये जाने की दशा में भुगते जाने वाली सजा |
|---|---|---|---|
| 3/25 आयुध अधिनियम | 02 (दो) वर्ष | 1,000 (एक हजार) रूपये | 02 महीना |

## आदेश

**1.A** दोषसिद्धगण **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़** प्रत्येक को अपराध अन्तर्गत धारा–**147 भा०द०सं०** कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष** के सश्रम कारावास तथा **500/– (पाँच सौ) रूपये** अर्थदण्ड की सजा दी जाती है एवं उक्त अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को **अग्रेतर 01 महीने के सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**1.B** दोषसिद्धगण **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़** प्रत्येक को अपराध अन्तर्गत धारा–**148 भा०द०सं०** कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष** के सश्रम कारावास तथा **500/– (पाँच सौ) रूपये** अर्थदण्ड की सजा दी जाती है एवं उक्त अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को **अग्रेतर 01 महीने के सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**1.C** दोषसिद्धगण **1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़** प्रत्येक को अपराध अन्तर्गत **धारा–302 सपठित धारा–149 भा०द०सं०** कारित करने हेतु **आजीवन कारावास** तथा **5,000/– (पाँच हजार) रूपये** अर्थदण्ड की सजा दी जाती है एवं उक्त अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को **अग्रेतर 06 (छः) महीने के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**1.D** दोषसिद्ध **ओंकार गौड़** को अपराध अन्तर्गत **धारा–3/25 आयुध अधिनियम** कारित करने हेतु **02 (दो) वर्ष** के सश्रम कारावास तथा **1,000/– (एक हजार) रूपये** अर्थदण्ड की सजा दी जाती है एवं उक्त अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में दोषसिद्ध को **अग्रेतर 02 (दो) महीने के सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

**2.** दोषसिद्धगण 1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़ वर्तमान में जमानत पर हैं अतएव उनके (प्रत्येक) व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है साथ ही उनमें प्रत्येक के दोनों प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

**3.** दोषसिद्धगण 1. प्रेम राय 2. राजकुमार राय 3. नवीन राय उर्फ मोनू राय 4. ओंकार गौड़ के द्वारा विवेचना, इंक्वायरी या परीक्षण के दौरान कारावास की अवधि को उन्हें दी गयी सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

**4.** दोषसिद्धगण को दी गयी सभी सजायें साथ– साथ चलेंगी।

**5.** उक्त मामले से संबंधित विवेचना या केस कार्यवाही के या आरोप–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या दौरान बरामद या जब्त की गयी सामग्री यदि कोई हो तो अपील हेतु प्रावधानित समय के बीत जाने पर यदि अपील न प्रस्तुत किया गया हो विनष्ट किया जाये तथा अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में उक्त सामग्री को माननीय अपीलीय न्यायालय के दिशा–निर्देश के अनुसार निस्तारित किया जाये।

**6.** इस निर्णय के फाईडिंग और सेनटेन्स (सजा) को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर को अग्रसारित किया जाये।

**7.** इस निर्णय की एक प्रति सभी दोषसिद्धगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

**दिनांक– 29.07.2026**

**(नितिन कुमार ठाकुर)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

मेरे उद्‌बोधन पर आशुलिपिक अहसान अली द्वारा उक्त निर्णय को टंकित किया गया और यह निर्णय जोकि मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है खुले न्यायालय में आज **दिनांक–29.07.2026** को उद्‌घोषित किया गया।

इस सत्र परीक्षण की पत्रावली अभिलेखागार को संदर्भित की जाए।

**दिनांक– 29.07.2026**

**(नितिन कुमार ठाकुर)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।